दिव्यांगजनों हेतु प्रदत्त सुविधाओं से सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन

उत्तराखण्ड शासन

शासनादेशों का संकलन

कार्यालय

आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड,
देहरादून।
दूरभाष नं0 0135– 2974992
E mail :- cduttarakhand@gmail.com

दिव्यांगजनों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख निर्देश/आदेश

क्र0 सं0	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	विषय	पेज सं0
1.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश सख्या 293 स.क.–04–145(समाज कल्याण)/03 दिनांक 29.01.2004	देहरादून मुख्यालय में विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना, पदों का सृजन एवं धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	1
2.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 249/2001 दिनांक 28.05.2001	राज्य समन्वय समिति के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	4
3.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 250/2001 दिनांक 28.05.2001	राज्य कार्यकारी समिति के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	5
4.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2–2001 –53(1)/2001 दिनांक 18.07.2001	राज्यधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।	8
5.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या :जी0आई0–226/स0क0/2003–166(स0क0)/2003 दिनांक 18.06.2013	अतिरिक्त निःशक्तजन आयुक्त के सम्बन्ध में।	10
6.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 432/XXX(2)/2005 दिनांक 14.03.2005	निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में।	11
7.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 1244/XXX(2)/2005 दिनांक 03.07.2005 के साथ पठित दिनांक 03.07.2005	राज्यधीन सेवाओं में आयु सीमा छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	13
8.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 163/XVII(1)–2/2005–145(समाज कल्याण)/2003 दिनांक 06.09.2005	अपर सचिव, समाज कल्याण को पदेन आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	14
9.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 159/XVII(1)–2/2006–06(05)/2006 दिनांक 18.02.2006	निःशक्तजनों की शारीरिक क्षमता के दृष्टिगत निःशक्तजनों हेतु प्रयोगार्थ कार्यालयों को भूतल पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	15
10.	वित्त विभाग	शासनादेश संख्या 84(1)/XXVII–9/स्टाम्प/2006 दिनांक 27.02.2006	विकलांग दुकान निर्माण योजना के सम्बन्ध में।	16
11.	आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड	शासनादेश संख्या 325/अ.स./अ.वि.ज./स.क./2006 दिनांक 04.10.2006	सेवा के दौरान निःशक्त होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में।	17

12.	चिकित्सा विभाग	शासनादेश संख्या 266/XXVIII–5–2009–24/2009 दिनांक 25.02.2009	प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर जिला विकलांग पुनवार्स केन्द्र (DDRC) की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर/भवन में दो अथवा तीन कक्षों का आरक्षण किया जाना।	19
13.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 287/XVII–02/2009–06(18)/2004 दिनांक 26.02.2009	निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली 2009	20
14.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 488/XVII–2/2010–06(39)/2005 दिनांक 19.08.2010	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।	23
15.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 1000/XVII–2/2010–06(39)/2005 दिनांक 15.10.2010	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 19–08–2010 की तालिका के क्रमांक–2 के स्तम्भ–4 में संशोधन।	25
16.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010	राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में क्षैतिज आरक्षण।	27
17.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 1905/XXX(2)/2011 दिनांक 17.01.2011	निःशक्त सरकारी सेवाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	41
18.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 320/XXX(2)/2011 दिनांक 18.03.2011	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान किया जाना।	42
19.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 196/XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25.03.2011	उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह **'क' 'ख' 'ग' व 'घ'** के पदों का चिन्हांकन।	44
20.	आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड	शासनादेश संख्या 42/आ0नि0ज0/2011 दिनांक 30.04.2011	विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	76
21.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 655/XVII–02/2011–157(स0क0)/2002 दिनांक 05.07.2011	राज्य समन्वय समिति के गठन की स्वीकृति विषयक।	77
22.	वित्त विभाग	शासनादेश संख्या 207/XXXVII(7)/34/2011 दिनांक 13.10.2011	महिला कार्मिक जिनके बच्चे 40% या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश के सम्बन्ध में।	79

23.	समाज कल्याण विभाग	शासनादेश संख्या 1407 / XVII–02 / 2011 –10(01) / 2009 दिनांक 15.12.2011	परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011	83
24.	आयुक्त निःशक्तजन उत्तराखण्ड	शासनादेश संख्या 485 / आ0नि0ज0 / 2012 दिनांक 25.02.2012	सड़कों में बेसहारा घूमने वाले मानसिक निःशक्तजनों के सम्बन्ध में।	89
25.	कार्मिक विभाग	शासनादेश संख्या 620 / XXX(2) / 2012 दिनांक 05.07.2012	राज्यधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार गणना करते हुए बैकलॉग को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान।	91
26	वित्त विभाग	वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 सं0 : 746 / xxvii(7)50(64) / 2013	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सेवा के दौरान निःशक्त हुये कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में।	93
27	समाज कल्याण विभाग	संख्या : 18 / XVII–2 / 2014 –39(विविध) / 02 TC	वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	95

संख्या 213 स.क.–04–145(समाज कल्याण)/03

प्रेषक

एस. के. मुटटू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)

समाज कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 29 जनवरी, 2004

विषयः देहरादून मुख्यालय में विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना, पदों का सृजन एवं धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विकलांगजनों के मामलों के त्वारित निस्तारण हेतु विकलांगजन अधिनियम 1995 के अन्तर्गत देहरादून मुख्यालय में विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना एवं निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में पदों के सृजन आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि, जो भी पूर्व में हो, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाएं, से दिनांक 29 फरवरी, 2004 तक के लिए सृजित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	विकलांगजन आयुक्त	आई.ए.एस संवर्ग	निदेशक समाज कल्याण पदेन विकलांगजन आयुक्त होगें
2	विधि सहायक	5,000–8,000	1
3	वरिष्ठ लिपिक	4,000–6,000	1
4	कनिष्ट लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	3,050–4,590	1
5	वाहन चालक (~~अध्यक्ष एवं सचिव हेतु~~)	3,050–4,590	1
6	चपरासी/पत्रवाहक	2,550–3,200	1
		योगः–	05

2– उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाएगी। उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई हैं और इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। स्वीकृत किए जा रहे पद के धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी समयानुसार देय होंगे।

4. अतएव सम्यक विचारोपरान्त विकालांग जन आयुक्त कार्यालय उत्तरांचल के विभिन्न व्ययों को वहन करने हेतु निम्न विवरणानुसार **रुपये 10.95 लाख (रूपये दस लाख पिच्चानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

	मानक मद	धनराशि (रूपये हजार में)
01	वेतन	300
03	मंहगाई भत्ता	177
04	यात्रा व्यय	30
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
06	अन्य भत्ते	33
07	मानदेय	01
08	कार्यालय व्यय	50
09	विद्युत देय	15
10	जलकर/जल प्रभार	05
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	35
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150
13	टेलीफोन पर व्यय	25
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	01
15	गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल खरीद	50
17	किराया उपशुल्क कर स्वामित्व	60
18	प्रकाशन	10
22	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	05
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	05
42	अन्य व्यय	10
44	प्रशिक्षण व्यय	02
45	अवकाश यात्रा व्यय	01
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10

योगः—1095

(रूपये दस लाख पिच्चानबे हजार मात्र)

5— उक्त व्यय को करते समय मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत आदेशों, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक जारी किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय केवल

उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग का नहीं होगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–15 के **आयोजनेत्तर** पक्ष के लेखा शीर्षक – "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–10–विकलांग जन आयुक्त कार्यालय का अधिष्ठान व्यय" की प्राथमिक सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 715 वि.अनु.–2/2004 दिनांक 22 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस.के.मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 293 (समाज कल्याण)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2 निदेशक,कोषागार लक्ष्मी रोड़ उत्तरांचल, देहरादून।
3 बरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल/देहरादून।
4 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल।
5 सचिव,अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,उत्तरांचल,देहरादून।
6 वित्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अनु सचिव।

उत्तरांचल सरकार
समाज कल्याण विभाग
संख्या 249 / 2001
देहरादूनः दिनांकः मई:28:2001

अधिसूचना

विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 संख्या.1 सन 1996 की धारा 13 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य समन्वय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	मा. मंत्री, समाज कल्याण,	अध्यक्ष (पदेन)
2.	प्रमुख सचिव / वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त	सदस्य (पदेन)
3.	सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
7.	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य (पदेन)
10.	सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
11.	सचिव, श्रम विभाग उत्तरांचल शासन	सदस्य (पदेन)
12.	उत्तरांचल सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्य (पांच) जो विकलांग जन हों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हों, इनमें भी एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से हों।	
13.	सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,	सदस्य (पदेन)
14.	आयुक्त, विकलांग जन	सदस्य (पदेन)
15.	दो सदस्य विधान सभा, उत्तरांचल शासन	सदस्य (पदेन)
16.	कृषि, व्यापार उद्योग क्षेत्र के मनोनीत तीन सदस्य	सदस्य (पदेन)
17.	सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन	सदस्य (पदेन) / सचिव

(डा. आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

कमशः.....2

पृष्ठांकन संख्या : 249 (II) / विक. / अधि. / 2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकार, देहरादून
2. सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून
3. निजी सचिव, मा. मंत्री समाज कल्याण, को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, हलाहाबाद
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
8. निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग
10. राज्य समन्वय समिति के समस्त सदस्य
11. विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन

आज्ञा से

(सुन्दर लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल सरकार
समाज कल्याण विभाग
संख्या 250/2001
देहरादूनः दिनांकः मई:28:2001

अधिसूचना

विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 संख्या.1 सन 1996 की धारा 19 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य कार्यकारी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे :–

1. प्रमुख सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2. आयुक्त विकलांग जन कल्याण	सदस्य (पदेन)
3. सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	सदस्य (पदेन)
4. सचिव वित्त विभाग	सदस्य (पदेन)
5. सचिव ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
6. सचिव शिक्षा विभाग	सदस्य (पदेन)
7. सचिव समाज कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8. सचिव कार्मिक विभाग	सदस्य (पदेन)
9. सचिव नगर विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
10. सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य (पदेन)
11. निदेशक समाज कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
12. सचिव श्रम विभाग उत्तरांचल शासन	सदस्य (पदेन)
13. एक सदस्य जिनकी रूचि विकलांग जनों के कल्यार्ण में हो, राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य
14. पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा ऐसे विकलांग नामित किये जायेंगे जो स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हों, इनमें एक महिला व एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति का सदस्य होगा सदस्य	
15. अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन	सदस्य/सचिव

(डा. आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

क्रमशः.....2

संख्या : 250 (II) / अधि, / 2001 तद्दिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन,
2. सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल शासन,
3. निजी सचिव मा. मंत्री जी समाज कल्याण उत्तरांचल शासन देहरादून,
4. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन,
5. सचिव कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून,
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल,
8. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल,
9. निदेशक समाज कल्याण, उत्तरांचल,
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग,
11. राज्य समन्वय समिति के समस्त सदस्य,
12. विधायी अनुभाग / भाषा अनुभाग

आज्ञा से

(सुन्दर लाल)
अपर सचिव

संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय–राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति 19%

(2) अनुसूचित जनजाति 04%

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

2–शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(i) महिलाएं 20%

(ii) भूतपूर्व सैनिक 02%

(iii) विकलांग व्यक्ति 03%

(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3–आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

ह0–

राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1144 (1)/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

ह0–

आर0 सी0 लोहनी,

अनु सचिव।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्या जी0आई0–226 / रा0क0 / 2003–166(समाज कल्याण) / 2003
देहरादून : दिनांक : 18 जून, 2003

अधिसूचना

विकलांगजन (समान अवसर, अधिकरों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1996) की धारा 60 की उपधारा (4) व (5) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री राज्यपाल विकलांग जन आयुक्त, उत्तरांचल को उनके कार्यों के सम्पादन में सहायता हेतु, समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल को अतिरिक्त आयुक्त, विकलांग जन नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह अधिकारी विकलांग जन आयुक्त के सामान्य अधीक्षण में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
(एस0 के0 मुट्टू)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : जी0आई0–226(1) / स0क0 / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. मुख्य आयुक्त, विकलांगजन, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जी–31, सैक्टर–39, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. आयुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
11. निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित इस आशय से कि कृपया उक्त अधिसूचना की 500प्रतियां मुद्रित कर शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कुंवर सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 432/XXX(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 14 मार्च, 2005

विषय–निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यथा – (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि; (ख) श्रवणह्रास; (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या : 1388/तीस–2/2004, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों का चिन्हांकन किया गया है। पदों का चिन्हांकन करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन–कौन से पद किस–किस निःशक्तता की श्रेणी में रहेंगे।

2. इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा शासन से यह पृच्छा की गयी है कि जहाँ संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की कुल संख्या बहुत कम है, वहाँ निःशक्त व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण पदों की संख्या अधिक न होने से किस प्रकार पूर्ण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) जिन संवर्गों में पद को केवल एक निःशक्तता के लिए ही चिन्हित किया गया हो, उनमें 03 प्रतिशत का आरक्षण केवल एक ही निःशक्तता के लिए निर्धारित किया जायेगा और जहाँ एक से अधिक निःशक्तता के लिए पद चिन्हित हैं, वहाँ समान रूप से आरक्षण प्रदान किया जायेगा इस प्रकार सभी प्रकार की निःशक्तताओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 03 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अर्थात् यदि एक पद दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले निःशक्त व्यक्ति के लिए चिन्हित किया गया है, तो उस पद पर 03 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण लगाया जायेगा;

(2) संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों पर उपरोक्तानुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पूर्णांक के रूप में की जायेगी;

(3) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना करते समय सीधी भर्ती के कुल पदों की संख्या के आधार पर आरक्षण की गणना की जायेगी, रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण की गणना नहीं की जायेगी;

(4) जिन पदों पर अभी चयन विचाराधीन है अथवा पूर्ण हुए हैं, उनमें यदि निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षण की गणना नहीं की गयी हो तो उनमें उपरोक्तानुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण के अनुसार पदों को चिह्नित करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों में निःशक्त व्यक्ति क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने और उनके लिए चिन्हित किये गये पदों को भरने के सम्बन्ध में पदों को विज्ञापित करते हुए उनके विरुद्ध चयन की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 432 (1)/XXX (2)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र लोहनी,
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2005

विषय–निःशक्त व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 1244/XXX (2)/2005 दिनांक 21–05–2005 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट दी गयी है जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है लेकिन निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन के उपरान्त नियुक्ति देने के लिए नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में निःशक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में दी गयी छूट का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकाशित विज्ञापनों में आयु सम्बन्धी शर्तों में दी गयी छूट के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के सम्बन्ध में शुद्धि–पत्र प्रकाशित कराया जाय तथा ऐसे आवेदनकर्ता, जिन्होंने प्रकाशित अधिकतम आयु सीमा से अधिक, परन्तु उक्त शासनादेश द्वारा दी गयी छूट की सीमा के अन्दर आवेदन पत्र भेजे हैं, उनके आवेदन पत्रों को विचार के लिए ले लिया जाय और उनके आवेदन पत्रों को विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु का होने के आधार पर निरस्त न किया जाय।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिशिचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

(13)

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या : 163/XVII(1)-2/2005–145(समाज कल्याण)/2003
देहरादून : दिनांक : 6 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–60 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा पूर्व अधिसूचना संख्या 251/2001 दिनांक 28मई, 2001 को अधिक्रमित करते हुए, अपर सचिव, समाज कल्याण (विकलांगजन कल्याण), उत्तरांचल शासन को, तत्काल प्रभाव से, पदेन विकलांगजन आयुक्त, उत्तरांचल नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 163(1)/XVII(1)-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 500प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 163(3)/XVII(1)-2/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. मुख्य आयुक्त, विकलांग जन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 31, सैक्टर–39, नोएडा (उ.प्र.)।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 159/XVII(1)-2/2006-06(05)/2006

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2006

विषयः निःशक्तजनों की शारीरिक क्षमता के दृष्टिगत निःशक्तजनों हेतु प्रयोगार्थ कार्यालयों को भूतल पर स्थानांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि समय समय पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मॉग की जाती रही है कि निःशक्तजनों की शारीरिक क्षमता के दृष्टिगत निःशक्तजनों हेतु प्रयोगार्थ कार्यालयों को भूतल पर स्थानांतरित किये जाये ।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि विकलांग कल्याण से संबंधित अधिकांश कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यवहरित किया जा रहा है। अतः जिला समाज कल्याण कार्यालय प्रथम तल या द्वितीय तल पर संचालित हों तो यथासंभव उन्हे भूतल पर स्थानांतरित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 159/XVII(1)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : विकलांगजन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–2
संख्या /XXVII-(9)/स्टाम्प/2006
देहरादूनः दिनांकः 27 फरवरी, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विकलांग के पक्ष में "विकलांग दुकान निर्माण योजना" के अन्तर्गत आबंटित दुकानों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या 84 (1)/XXVII-(9)/स्टाम्प/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला निबन्धक, उत्तरांचल।
6. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल०एम०पन्त)
अपर सचिव।

पत्र सं. 325/अ.स./अ.वि.ज./स.क./2006

प्रेषक,

अपर सचिव
समाज कल्याण(निःशक्तजन कल्याण), उत्तरांचल शासन,एवं
निःशक्तजन आयुक्त,उत्तरांचल,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
.....
.....।

समाज कल्याण–2 दिनांकःदेहरादूनःअक्टूबर, 4, 2006

विषयः–निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सेवा के दौरान निःशक्त हुये कर्मचारियों के सम्बंध में की गई व्यवस्था के सम्बंध में।

महोदय,

कतिपय विभागों द्वारा यह संज्ञान में आया है कि सेवा के दौरान निःशक्त हुये कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें प्रदान नहीं की जा रही हैं,जबकि निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा–47 के अन्तर्गत स्पष्ट व्यवस्था हैं कि –

47.(1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा ;

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात उस पद के लिये जिसको वह धारण करता हैं, उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे,उसी वेतनमान और सेवा संबधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा ;

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने तक,इनमें से जो भी पूर्वतर हो,किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।

47 (1) No establishment shall dispense with, or reduse in rank, an employee who acquires a disability during his service ;

PROVIDED that, if an employee, after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, could be shifted to some other post with the same paysale and service benefit ;

PROVIDED FURTHER that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

क्रमश.....

47(2) किसी व्यक्ति को ,केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा ; परन्तु यह कि समुचित सरकार,किसी स्थापन में किए जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुये, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए,यदि कोई हों,जो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाए किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधो से छूट दे सकेगी।

47(2) ***No promotion shall be denied to a person merely on the ground of his disability ;*** *PROVIDED that the appropriate.Government may, having regard to the type of work carried on in such notification and subject touch conditions, if any, as may be specified is such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.*

अतः आपसे अनुरोध है कि अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – अधिनियम में सुसंगत धारा की छायाप्रति।

भवदीय

स्नेहलता अग्रवाल
अपर सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

कृपया समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्नेहलता अग्रवाल
अपर सचिव एवं आयुक्त

35

संख्या 266/XXVIII-5-2009-24/2009

प्रेषक,

केशव देसिराजु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला अस्पताल
प्रबन्धन समिति
उत्तराखण्ड ।

चिकित्सा अनुभाग–5

देहरादून : दिनांक 25 फरवरी, 2009

विषयः प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) की स्थापना हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर/भवन में दो अथवा तीन कक्षों का आरक्षण किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विकलांगजनों को बहुआयामी पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक डी0डी0आर0सी0 स्थापित किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है, जहां विकलांगता सर्वेक्षण, विकलांगता की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता, विकलांगता की आरम्भिक पहचान, विकलांगजनों के सहायक उपकरण/यंत्रों के वितरण व उनकी मरम्मत आदि, थेराप्यूटिक सेवायें, विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु जांच आदि अनेक सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जिला चिकित्सालय (नैनीताल को छोड़कर) के भवन में न्यूनतम दो अथवा तीन कक्षों का आवंटन जिला पुनर्वास विकलांग केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना हेतु सुनिश्चित कर सचिव, समाज कल्याण को अवगत कराने का कष्ट करें ।

जनपद नैनीताल का जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र हल्द्वानी स्थित बेस अस्पताल में स्थापित किया जाना है । अतः तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

उपरोक्तानुसार केन्द्र की स्थापना हेतु आरक्षित किये जाने वाले कक्षों की साज–सज्जा विकलांगजनों के प्रयोग हेतु बाधारहित बनाने हेतु किये जाने वाले लघु निर्माण कार्यों तथा आरम्भिक स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रत्येक जिला पुनर्वास विकलांग केन्द्र के लिए धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित किये जाने हेतु पृथक से आदेश किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

संख्या 266/XXVIII-5-2009-24/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सचिव, एवं आयुक्त समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन ।
3. मुख्य आयुक्त, निःशक्तता, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
4. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, देहरादून ।
8. केन्द्र प्रभारी, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, अल्मोड़ा/बागेश्वर/भगवानपुर (हरिद्वार) व टिहरी
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

G:\123\GO.doc

उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली 2009

1. **संक्षिप्त नाम :–**
इस नियमावली का नाम ''उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली, 2009'' होगा।

2. **प्रारम्भ**
यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इस नियमावली के प्रभावी होने पर पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित तत्सम्बन्धी सभी नियमावलियां निष्प्रभावी हो जायेंगी। इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उत्तराखण्ड राज्य के विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

3. **परिभाषा**
इस नियमावली के अन्तर्गत, जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो :–
(क) निगम से उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत होगा।
(ख) बस से निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाने वाली साधारण बसें अभिप्रेत होंगी।
(ग) राज्य से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।
(घ) विकलांगजन की परिभाषा व विकलांगता की श्रेणी विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 से अभिप्रेत होगी।

4. विकलांगजनों को उत्तराखण्ड राज्य में निःशुल्क यात्रा सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन के लिये यात्रा करने पर दी जायेगी।

5. यात्रा प्रारम्भ करते समय विकलांग व्यक्ति, राज्य के जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र (मैडिकल सर्टिफिकेट) अथवा समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा अधिकृत अधिकारी के स्तर से निर्गत परिचय–पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र परिवहन निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

6. उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम, देहरादून द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने विकलांग व्यक्तियों ने एक त्रैमास में निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया, के मांगपत्र दिये जाने पर अनुमन्य धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. यात्रा की सुविधा, विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 (न) के अनुसार 40% व उससे ऊपर की विकलांगता से ग्रस्त व धारा–2 (झ) के अनुसार निम्न विकलांगता से ग्रस्त विकलांगजनों को अनुमन्य होगी :–
(I) अन्धता ;
(II) कम दृष्टि ;
(III) कुष्ठ रोग मुक्त ;
(IV) श्रवण शक्ति का क्रास ;
(V) चलन निःशक्तता ;
(VI) मानसिकता मंदता ;
(VII) मानसिक रूग्णता ;

8. यात्रा के समय निम्न विकलांगजन के साथ उसके सहयोगी/सहयात्री को विकलांगजन की तरह निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी :–
   (क) जो पूर्ण रूप से अंधे हों ; या अल्पदृष्टि (लो विजन) से ग्रस्त हों ;
   (ख) जो पूर्ण रूप से मूक व बधिर हों ;
   (ग) जिनके एक हाथ या पैर अथवा दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों ;
   (घ) जिनके एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों ;
   (ड) जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो ;
   (च) जो मानसिक रूप से रूग्ण हों ;

9. परिवहन निगम की बसों से विकलांगजन को पूरे वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।

10. नगर सेवा बस में भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, यदि उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम नगर बस सेवा संचालित करते हों।

11. उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम को विकलांगजनों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये सम्बन्धित विभाग के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के अनुसार पारस्परिक सहमति से धनराशि का भुगतान निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

12. बस का परिचालक विकलांगजन के द्वारा बिन्दु संख्या 5 में उल्लिखित विकलांगता प्रमाण–पत्र के आधार पर यात्रा का विवरण अंकित करेगा। विकलांगजन का नाम व विकलांगजन द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण–पत्र संख्या/किस सक्षम अधिकारी ने जारी किया; यात्रा कहां से कहां तक की गयी; निगम किराया छोड़कर कितनी धनराशि कर के रूप में वसूल की गयी; मार्ग पत्र में अंकित करेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन विकलांगजनों द्वारा की गयी यात्रा के विवरण डिपो स्तर पर रखे जायेंगे; जिसमें निगम किराया का उल्लेख किया जायेगा।

13. उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम प्रत्येक माह लेखा विवरण तथा यात्रा करने वाले विकलांगजनों की संख्या सम्बन्धी विवरण निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे।

14. नियमावली के नियम–5 के क्रम में विकलांगजन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित मैडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण–पत्र (मैडिकल सर्टिफिकेट) प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

15. विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निगम की समस्त साधारण बसों में अनुमन्य होगी, यह छूट बस के प्रस्थान करने के स्टेशन से बस के गन्तव्य/अन्तिम पड़ाव तक दी जायेगी। निगम की बसें जहां तक संचालित हो रही है वहां तक उत्तराखण्ड राज्य के विकलांगजनों को साधारण बसों के किरायें में छूट प्रदान की जायेगी।

16. यात्री किराये के कुल धनराशि का लगभग 20% विकलांगजन (पैसेंजर टैक्स, यात्री बीमा व यात्री सुविधा धनराशि) एवं उनके सहयोगी सहयात्री से प्राप्त किया जायेगा तथा शेष निगम किराया की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा। उक्त 20% धनराशि में यात्री बीमा का अंश भी सम्मिलित होगा।

ह0–
(मनीषा पंवार)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–02,
संख्या : 287 / XVII–02 / 2009–06(18) / 2004
देहरादून : दिनांक 26 फरवरी, 2009

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. मुख्य आयुक्त, विकलांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 31, सैक्टर,–39, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7. आयुक्त, कुमायूं / गढ़वाल मंडल, नैनीताल / पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
10. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस नियमावली की 200 प्रतियां मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0–
(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।

संख्या : 498 / XVII–2 / 2010–06(39) / 2005

प्रेषक,

एस0 के0 मुट्टू
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 19 अगस्त 2010

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–916 / 65–1–2000 दिनांक 19 जून, 2000 के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति का नाम दिया गया था।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उक्त कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ–5 में उल्लिखित दर के स्तम्भ–6 के अनुसार दरों में वाहन भत्ता को पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पूर्व वेतनमान वेतन स्तर (मूल वेतन)	वर्तमान वेतन बैण्ड	ग्रेड–पे	शासनादेश दिनांक 19 जून, 2000 के अनुसार वर्तमान दर (रु0 में)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रु0 प्रतिमाह)
1	2	3	4	5	6
1.	रु0 3049 तक	रु0 5200–20200	रु0 1800 तक	150	300
2.	रु0 3050 से 5999 तक	रु0 5200–20200	रु0 2400 तक	200	400
3.	रु0 6000 से अधिक	रु0 9300–34800	रु0 4200 व अधिक	250	500

Letter August 2010

2. उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने–अपने आय–व्ययक के सम्बन्धित लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाई में तद्नुसार बजट व्यवस्था से और व्यवस्था न होने पर व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

3. उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–2641/XXVII(7)/2010 दिनांक 17 अगस्त 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 मुत्दू)
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या /XVII–2/2010–06(39)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
6. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय नैनीताल।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. सार्वजनिक उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–3/वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु–7 उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव

संशोधन शासनादेश

संख्या : /XVII-2/2010-06(39)/2005

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 15 अक्टूबर, 2010

विषयः-उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 19.08.2010 की तालिका के क्रमांक-2 के स्तम्भ-4 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-488/XVII-2/2010-06(39)/2005 दिनांक 19 अगस्त, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 की तालिका में क्रमांक 2 के स्तम्भ-4 में ग्रेड पे "रु0 2400/- तक" के स्थान पर रु0 2400/ से ग्रेड पे रु0 2800/- तक संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 2010 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-4622/XXVII(7)/2010 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या/ /XVII-2/2010-06(39)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

er October 2010

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
6. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय नैनीताल।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
10. वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु–7 उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1673 /xxx (2)/ 2010
देहरादूनःदिनांक 10 नवम्बर, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों के प्रकम पर विकलांगों को आरक्षण अनुमन्य कराने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) यथा संशोधित प्रख्यापित है। विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्सम्बंधी प्रकिया तथा आरक्षण सम्बंधी रोस्टर के कियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.13.2005 एवं दिनांक 26.4.2008 निर्गत किया गया है।

2– भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरांकित कार्यालय ज्ञाप में विहित प्राविधानों/प्रकियाओं को सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों के प्रकमों पर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः निःशक्तजनों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के प्रकम पर आरक्षण की अनुमन्यता विषयक संदर्भगत भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापों में विहित प्राविधानों/अपनायी जाने वाली प्रकियाओं के अनुरूप तत्सम्बंधी दिशा निर्देश संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में उल्लिखित प्राविधानों/प्रकियाओं को सभी अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कृपया सभी स्तरों पर उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– विकलांगों के आरक्षण के सम्बंध में प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यालय–ज्ञाप से पूर्व निर्गत शासनादेश उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापों में विहित प्राविधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नकः– यथोपरि।

दिलीप कुमार कोटिया
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1673 /XXX (2)/2010,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7– निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप सं0–1673/xxx (2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 का संलग्नक

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29–12–2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.4.2008 में उल्लिखित प्राविधान के आधार पर निर्धारित दिशा–निर्देश।

1–निःशक्तजनों हेतु आरक्षण की मात्रा–

(क) समूह क, ख,ग, और घ के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगी, जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियां–(क)दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ख) श्रवणह्रास और (ग) चलनकिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज)से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।

(ख)समूह 'घ' और 'ग' के पदों की पदोन्नति के मामले में, ऐसे पदों जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तीन प्रतिशत रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियां– (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणह्रास और (ग) चलनकिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात(फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।

2– निःशक्तजनों हेतु आरक्षण में छूट–

यदि कोई विभाग निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किए जाने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विचार किया जायेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान करने विषयक आदेश निर्गत किए जायेंगे।

3– उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान–

कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 11–10–2004 एवं दिनांक 6–9–2005 में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित किए गये तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा भविष्य में चिन्हांकित किए जाने वाले संशोधित पदों पर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिए प्रयोग में लायी जायेंगी। तथापि ध्यान रहे कि :–

(क) किसी नौकरी/पद के लिए प्रयुक्त नामावली में सदृश्य कामकाज वाली अन्य तुलनीय नौकरियों/पदों के लिए प्रयुक्त नामावली भी शामिल होगी।

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित नौकरियों /पदों की सूची निःशेष(Exhaustive) नहीं है। सम्बंधित विभागों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से ही उपयुक्त पहचानी गई नौकरियों/पदों के अतिरिक्त नौकरियों/पदों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा। तथापि, कोई भी विभाग/प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त पहचानी गई किसी नौकरी/पद को आरक्षण के दायरे से अपवर्जित नहीं कर सकेगा।

(ग) यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचानी गई कोई नौकरी/पद वेतनमान में अथवा अन्यथा बदलाव के कारण एक समूह अथवा ग्रेड से किसी दूसरे समूह अथवा ग्रेड में तब्दील हो जाय तो भी वह नौकरी/पद उपयुक्त पहचाना गया बना रहेगा।

4– एक अथवा दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण–

यदि कोई पद निःशक्तता की एक श्रेणी के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस निःशक्तता वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा। ऐसे मामलों में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसके लिए वह चिन्हित किया गया हो। इसी तरह किसी पद को निःशक्तता की दो श्रेणियों के लिए चिन्हित किए गये होने की स्थिति में जहां तक सम्भव हो, आरक्षण निःशक्तता की उन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जायेगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले।

5– अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति–

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता। इस तरह निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

6– अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजन–

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के अपनी ही योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गये निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जायेंगे। आरक्षित रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जायेंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे। ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों में, जहां से भी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुमन्य हो, लागू होगा।

7– विकलांगताओं की परिभाषा –

दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के प्रयोजन से विकलांगता की श्रेणियों की परिभाषाऐं नीचे दी गयी हैं:–

(क) दृष्टिहीनता का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित हो अर्थात:–

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव, या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200(सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्षणता या,

(तीन)जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना

(चार)"कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात भी दृष्टि सम्बंधी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक व्यक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो।

(ख) "श्रवणह्रास" का तात्पर्य सम्वाद सम्बंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि से है।

(ग) "चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोडों या मांसपेसियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय अंगघात हो।

(क) "प्रमस्तिष्कीय अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से परिणामिक असमान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है"

8– आरक्षण के लिए विकलांगता की मात्रा–

केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप पत्र–1) में जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9– विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी– विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

10– मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात स्थायी निःशक्तता के ऐसे मामलों में स्थायी निःशक्तता प्रमाण –पत्र जारी करेगा, जहां निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मैडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र की बैधता की अवधि इंगित करेगा, जिनमें निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाए। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात मैडिकल बोर्ड, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

11– नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

12– आरक्षण की गणना– समूह 'ग' व 'घ' के पदो के मामले में,निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह'ग' अथवा समूह 'घ' के पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों पर ही की जायेगी। किसी अधिष्ठान में समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आंकलन, अधिष्ठान के अन्तर्गत उपयुक्त पहचाने गये और उपयुक्त न पहचाने गये दोनों तरह के समूह 'ग' के पदों में एक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रख्कर की जाएगी। यही प्रक्रिया समूह 'घ' के पदों पर लागू होगी। इसी प्रकार समूह 'ग' व 'घ' के पदो के पदोंन्नति के मामले में आरक्षण आंकलन करते समय, पदोन्नति कोटे की सभी रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि आरक्षण, पहचाने गए पदों तक ही सीमित है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आकलन (पहचाने गए पदों और न पहचाने गए पदों में) कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः किसी पहचाने गए पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 3 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

13– समूह'क' के पदों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आंकलन, अधिठान में समूह 'क' के सभी उपयुक्त पहचाने गए पदों में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। आंकलन का यह तरीका समूह'ख' के पदो के लिए भी लागू है।

14- आरक्षण लागू करना-रोस्टरों का रखरखाब-

(क) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान, प्रारूप पत्र-2 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, 100 बिन्दुओं वाला रोस्टर बनाऐंगे। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क' के पदो के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' के पदो के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' के पदो के लिए पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' के पदो के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' के पदो के लिए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' के पदो के लिए अलग-अलग एक-एक आरक्षण रोस्टर होगा।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र तीन खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे:-

प्रथम खण्ड- बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु संख्या-33
द्वितीय खण्ड- बिन्दु संख्या-34 से बिन्दु संख्या-66
तृतीय खण्ड- बिन्दु संख्या-67 से बिन्दु संख्या-100

(ग) रोस्टर के 1, 34 और 67 संख्या के बिन्दु निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित चिन्हित किए जायेंगे जिनमें से निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के लिए एक-एक बिन्दु होगा। नियुक्ति प्राधिकारी सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि बिन्दु संख्या 1, 34 और 67 किस श्रेणी की निःशक्तता के लिए आरक्षित होंगे।

(घ) अधिष्ठान में सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत समूह 'ग' पदों में होने वाली सभी रिक्तियों की प्रविष्टि, संगत रोस्टर रजिस्टर में की जायेगी। यदि बिन्दु संख्या 01 पर आने वाला पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा अधिष्ठान अध्यक्ष इसे निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या-02 से 33 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तद्नुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-34 से 66 तक अथवा 67 से 100 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जाएगा। बिन्दु संख्या-1, 34 और 67 को आरक्षित रखने का उद्देश्य बिन्दु 01 से 33 तक प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति बिन्दु 34 से 66 तक प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति और बिन्दु 67 से 100 तक की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरे जाने का है।

(ड़) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या-01 से 33 तक कोई भी रिक्ति विकलांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो। उस स्थिति में बिन्दु संख्या-34 से 66 तक 02 रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जायेंगी। यदि बिन्दु संख्या 34 से 66 तक की रिक्तियां किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हों तो बिन्दु संख्या 67 से 100 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियां आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जायेंगी। अभिप्राय यह है कि यदि किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह अगले खण्ड में अग्रेनीत की जाएगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ)यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक अथवा दो खण्ड ही आते हैं तो इसका विवेकाधिकार अधिष्ठान के अध्यक्ष में निहित होगा कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय अधिष्ठान द्वारा, पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद

इत्यादि में विकलांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

(ज) पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिए एक अलग रोस्टर बनाया जायेगा और विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण दिये जाने के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इसी तरह समूह 'घ' के पद्रो के लिए भी दो अलग रोस्टर बनाये जायेंगे,एक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिए और दूसरा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिए।

(झ) समूह 'क' और समूह 'ख' पदों में आरक्षण का निर्धारण, केवल उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों की रिक्तियों के आधार पर ही किया जायेगा। अधिष्ठानों में समूह 'क' के पदों और समूह 'ख' के पदों के लिए अलग–अलग रोस्टरों का रख–रखाव किया जायेगा। समूह 'क' और समूह 'ख' पदो के लिए रखे गये रोस्टरों में चिन्हित किये गये पदों में होने वाली सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों की प्रविष्टि की जाएगी और ऊपर वर्णित तरीके के अनुसार ही आरक्षण लागू किया जायेगा।

15– <u>सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला–बदली और अग्रेनीत किया जाना–</u>

(क) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की तीनों श्रेणियों के लिए अलग–अलग आरक्षण होगा। लेकिन यदि किसी अधिष्ठान में रिक्तियों का स्वरूप इस प्रकार है कि निःशक्तता की किसी विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता तो समाज कल्याण विभाग के अनुमोदन से रिक्तियों की, इन तीनों श्रेणियों में आपसी अदला–बदली की जा सकती है और आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है और तदनुसार रिक्तियों को भरा जा सकता है।

(ख) यदि निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्ति को, उस निःशक्तता वाले उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण अथवा किसी अन्य ठोस कारणवश नहीं भरा जा सके तो इस प्रकार की रिक्ति भरी नहीं जाएगी और उसे अगले भर्ती वर्ष के लिए पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति के रूप में अग्रेनीत कर दिया जाएगा।

(ग) अगले भर्ती वर्ष में पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति को, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की उसी श्रेणी के लिए आरक्षित माना जाएगा जिसके लिए भर्ती के प्रारम्भिक वर्ष में इसे आरक्षित किया गया था। तथापि, यदि निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो इसे निःशक्तता की तीन श्रेणियों के बीच अदला–बदली करके भरा जाएगा। यदि अगले वर्ष में भी पद को भरने के लिए निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो नियोक्ता निःशक्तता से गस्त व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भर सकता है। यदि रिक्ति, उस निःशक्तता वाली श्रेणी के व्यक्ति से भरी जाती है, जिसके लिए यह आरक्षित थी अथवा अगले भर्ती वर्ष में रिक्ति की अदला–बदली द्वारा निःशक्तता की दूसरी श्रेणी के व्यक्ति द्वारा भरी जाती है तो इसे आरक्षण के द्वारा भरी हुई समझा जायेगा। यदि अगले भर्ती वर्ष में रिक्ति, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा भरी जाती है तो आरक्षण दो भर्ती वर्षो तक की आगे की अवधि के लिए अग्रेनीत हो जायेगा तथा इसके पश्चात आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आगे के इन दो वर्षो में, यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरक्षित रिक्ति को भरने की वही प्रकिया होगी जो बाद वाले पहले भर्ती वर्ष में अपनाई जाती है।

16– <u>पदोन्नति के मामले में विचारण क्षेत्र परस्पर आदान–प्रदान और अग्रेनीत आरक्षण</u>

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले निःशक्त उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहॉ सामान्य विचारण क्षेत्र में निःशक्तता की उपयुक्त श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या तक उपलब्ध नहीं होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की

संख्या का पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाए गये विचारण क्षेत्र में आने वाले विगलांग उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा। यदि बढ़ाये गये विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला बदली की जा सकती है, ताकि पद को निःशक्तता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाए तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षो तक अग्रेनीत कर दिया जाय जिसके बाद वह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में निःशक्तता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि विकलांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्ति को विकलांगता की अन्य श्रेणी जिसके लिए पद को उपयुक्त चिन्हित किये गये हों, के साथ अदला–बदला जा सकता है। यदि अदला–बदली करके भी आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं है तो आरक्षण को अगले तीन वर्षो तक अग्रेनीत किया जाएगा जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

17– <u>विकलांग व्यक्तियों के लिए होरिजेन्टल आरक्षण</u>

पिछड़े वर्ग के नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग) के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और निःशक्त व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेन्टल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेन्टल आरक्षण व वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते है। (जिसे इंटर लाकिंग आरक्षण कहा जाता है) और निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गये व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षण के लिए बनाए गये रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/ सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिये गए वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियां आरक्षित हैं और नियुक्त किए गये दो निःशक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के निःशक्त उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जायेगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जायेगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती तो अनुसूचित जाति का निःशक्त उम्मीदवार भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

18– चूँकि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो के लिए बनाये गये आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्ततः रखा जाना होता है, अतः निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना अपेक्षित होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से सम्बद्ध हैं।

19– <u>आयु सीमा में छूट–</u>

(1) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बंधी शासनादेश संख्या 1244/xxx(2)/2005, दिनांक 21.5.2005 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट दी गई है जिसके अनुसार समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(2) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं, बशर्ते कि पद निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

20– उपयुक्तता मानदण्डों में छूट–

यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन किया जाय वशर्ते वे ऐसे पद अथवा पदो के लिए अनुपयुक्त न हों। इस प्रकार, यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदंडों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदंडों को शिथिल करके चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पदों पर नियुक्ति हेतु ये उम्मीदवार उपयुक्त पाए जांए।

21– स्वास्थ्य परीक्षा–

पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली के संबंधित नियम के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नये व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता हैं। निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकार की विकलांगता से गस्त व्यक्ति द्वारा धारित किये जाने हेतु उपयुक्त समझे गये पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्साधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

22–परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क से छूट–

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित चिकित्सकीय उपयुक्ता के मानदण्ड के आधार नियुक्ति के पात्र होते। (निःशक्त व्यक्तियों को दी गई किन्हीं विशिष्ट छूटों सहित) और जो अपनी निःशक्तता की दावेदारी की पुष्टि के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण–पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हैं

23– रिक्तियों हेतु नोटिस

किसी निर्धारित पद पर निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्ति का उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के कम में रोजगार केन्द्रों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि को नोटिस भेजते समय तथा ऐसी रिक्तियों की विज्ञप्ति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायः–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/ भूतपूर्व सैनिक/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों/श्रवणह्रास की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों/चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात(फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्टतः दर्शायी जानी चाहिए।

(2) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाए कि संबंधित पद दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त निःशक्तता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो, के लिए चिन्हित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, आवेदन करने की अनुमति है, भले ही उनके लिए कोई

रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(3) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामले में जिन्हें निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो, चाहे रिक्तियां आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि संबद्ध पद सम्बद्ध निःशक्तता की श्रेणियों यथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त निःशक्तता, श्रवण ह्रास की निःशक्तता तथा चलनकिया सम्बंधी निःशक्ता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जायगा।

(4) यह भी दर्शाया जाय कि संगत विकलांगता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे।

24– <u>मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र–</u>

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्राविधानों का सही–सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के कम में मांगकर्ता प्राधिकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

" यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग–पत्र भेजते समय उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित तथा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियां 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या .....पर आती है और उनमें से ..... रिक्तियां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

25– <u>निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियो के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट–</u>

(i) प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी के तत्काल पश्चात प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने प्रशासनिक विभागों को निम्नलिखित रिपोर्ट भेजेंगे:–

(क) प्रारूप पत्र–3 में दिये गये निर्धारित प्रपत्रों में पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट–1 जिसमें वर्ष की प्रथम जनवरी को कर्मचारियों की कुल संख्या, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए गये हों तथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनकिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित किया जायेगा।

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा (प्रारूप पत्र–4) में पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट–II जिसमें पिछले कलैण्डर वर्ष में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनकिया सम्बंधी निःशक्ताता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा वस्तुतः नियुक्त किए गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जाएगा।

(II) प्रशासकीय विभाग उनके अन्तर्गत आने वाले सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से मिलने वाली जानकारी की जांच करेंगे तथा उनके अधीन सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी सहित संबंधित विभाग के संबंध में पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट–1 तथा पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट– II को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक समाज कल्याण विभाग को भिजवाऐंगे।

(III) समाज कल्याण विभाग को उपर्युक्त रिपोर्ट भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायः–

(क) समाज कल्याण विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी जाय। सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकाय प्रोफार्मा में भरकर समेकित जानकारी अपने प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे जो अपने स्तर पर उनकी जांच, मानीटरिंग तथा अनुरक्षण करेंगे। सभी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ऐसी जानकारी एकत्रित करना सार्वजनिक उद्यम विभाग से अपेक्षित है।

(ख) सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केवल अपने प्रशासनिक विभागों को अपनी जानकारी भेजेंगे तथा वे इसे कार्मिक विभाग को सीधे नहीं भेजेंगे।

(ग) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधी आंकड़ो में आरक्षण के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एवं अन्यथा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

(घ) निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों (पी0डब्लू0डी0) रिपोर्ट–1 का संबंध व्यक्तियों से है न कि पदों से। अतः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों आदि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों को उस विभाग/कार्यालय के अधिष्ठान में शामिल करना चाहिए जहॉ उन्हें लिया गया हो, न कि मूल अधिष्ठान में। किसी एक ग्रेड में स्थायी किन्तु स्थानापन्न अथवा उच्च ग्रेड में स्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों को सम्बन्धित सेवा की उक्त ग्रेड से संबंधित श्रेणी के आंकड़ों में शामिल किया जाएगा।

26– <u>विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी–</u>

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाऐंगे।

27– सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लायेंगे।

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

प्रारूप–पत्र–1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या– ..... तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....
लिंग.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमुस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल)– दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए)– दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल)–एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक वांह (ओ एल)–एक वांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) –पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) –मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि–
(i) बी– अंधता
(ii) पी बी– ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी– बधिर

(ii) पी डी– ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षो .....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हॉ/नहीं

(डा0 .....)	(डा0 .....)	(डा0 .....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

प्रारूप–पत्र–2

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	साइकिल सं. और पॉइन्ट सं.	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया है			अनारक्षित अथवा आरक्षित *	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.वि./ब./शा.वि. है अथवा इनमें से कोई नही। **	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
			दृ वि	ब	शा वि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* यदि आरक्षित पहचाने गए हॉ तो लिखे दृ.वि./ब./शा.वि, जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

** लिखें दृ.वि./ब/शा. वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा भी मामला हो।

*** दृ.वि./ब/शा. वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है।

17/1/11

संख्या-905 U /XXX/(2)/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 17 जनवरी, 2011

विषयः–विकलांग सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पदों को चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

1– दृष्टिहीनता या कम दृष्टि
2– श्रवणह्रास और
3– चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त

विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति के पश्चात् दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी 'ग' तथा 'घ' के विकलांग कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति एवं पदोन्नति तथा वार्षिक स्थानान्तरण के समय तैनाती यथासम्भव उनके गृह जनपद में तथा सुगम स्थान में उनसे विकल्प प्राप्त करके की जाय। श्रेणी 'क' तथा 'ख' के कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकलांग कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर लिये जाय और उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार ही इच्छित स्थान पर उनकी तैनाती कर दी जाय।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या– 1905 (1)/XXX/(2)/2011/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4– आयुक्त विकलांगजन, उत्तराखण्ड।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अतिरिक्त सचिव

38

संख्याः– 320 /XXX(2)/2011

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 18 मार्च, 2011

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षाओं में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक (लेखन सहायक) दिये जाने पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रुत लेखक(लेखन सहायक)की सुविधा तथा अतिरिक्त समय दिये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. सम्बन्धित दृष्टिहीन अभ्यर्थी श्रुत लेखक(लेखन सहायक) अपने साथ स्वयं लायेंगे।
2. श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता, पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सेदो कक्षा कम होगी। यदि पद की न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री है तो श्रुत लेखक(लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण से अधिक नहीं होगी। यदि पद की न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट है तो श्रुत लेखक(लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल से अधिक नहीं होगी।
3. दृष्टिहीन अभ्यर्थी को 3 घण्टे की परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। यदि लिखित परीक्षा की समयावधि 3 घण्टे से कम या अधिक हो तो 3 घण्टे में 30 मिनट के अनुपात में कम या अधिक अतिरिक्त समय दिया जायेगा। उदाहरणार्थ 2 घण्टे की परीक्षा में 20 मिनट व 01 घण्टे की परीक्षा में 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
4. दृष्टिहीन अभ्यर्थी को संम्बधित श्रुत लेखक(लेखन सहायक)के साथ अलग बैठने की व्यवस्था केन्द्र अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
5. दृष्टिहीन अभ्यर्थी या उसके साथ आये श्रुत लेखक(लेखन सहायक) यदि कोई है, को नियुक्ति प्राधिकारी या शासन द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।
6. श्रुत लेखक(लेखन सहायक) अपने द्वारा रिकार्ड किये जा रहे उत्तर से सही या अन्य या गलत होने पर संम्बंधित अभ्यर्थी को सूचित करने के लिये कोई संकेत, आवाज अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम को नहीं अपनायेगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अभ्यर्थी की अयोग्यता सिद्ध होगी और सम्बंधित अभ्यर्थी तथा संबंधित श्रुत लेखक(लेखन सहायक) दोनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

7. संम्बंधित श्रुत लेखक(लेखन सहायक) दृष्टिहीन अभ्यर्थी के लिये प्रश्न पढ़ते समय या दृष्टिहीन अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में अंकित करने हेतु अपना सही उत्तर सहायक को बताते समय परीक्षा भवन में बैठे अन्य अभ्यर्थियों की शांति भंग नहीं करनी चाहिए।
8. संम्बंधित अभ्यर्थी के श्रुत लेखक(लेखन सहायक) को अपना ब्यौरा जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता आदि लिखकर देना होगा। संबंधित श्रुत लेखक(लेखन सहायक) द्वारा दिया गया ब्यौरा उसे तथा दृष्टिहीन उम्मीदवार को परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले सही तथा सत्य प्रमाणित करना होगा। यह विवरण परीक्षा कक्ष निरीक्षक को दिया जायेगा।
9. उपरांकित किसी भी शर्तों और प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी/श्रुत लेखक(लेखन सहायक) के विरूद्ध किसी भी अन्य कार्यवाही के साथ अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी रद्द किया जा सकता है।

2– कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराते समय उक्त निर्देशों से भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः-320 /XXX(2)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी,उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार।
5. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ई0सी0 रोड, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव

40

प्रेषक,

एम0 एच0 खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 25 मार्च, 2011

विषयः-उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' के पदों का चिन्हांकन।

महोदय,

विकलांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-32 में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन क्रिये जाने का प्राविधान है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2422/XXX(2)/2005 दिनांक 22 अगस्त, 2005 द्वारा विकलांगजन के लिए लोक सेवाओं में 3 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तराखण्ड [(उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश, 2002 प्रख्यापित किया गया है। चिन्हांकित पदों की संलग्न सूची के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', 'ख' श्रेणी के शेष सभी पद निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा-33 के परन्तुक के अन्तर्गत विकलांगजन के आरक्षण से उन्मोचित (Exempted) समझे जायेंगे। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों को एक-एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे।

1. दृष्टिहीनता या कम दृष्टि।
2. श्रवण ह्रास।
3. चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंघात।

3. इस सम्बन्ध में निःशक्तजन अधिनियम, 1995 धारा-32 के अन्तर्गत तथा कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड [(उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम

रूपान्तरण आदेश, 2002 के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चि करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' के पदों का चिन्हांकन से सम्बन्धित कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1388/XXX–2/2004 दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 तथा शासनादेश दिनांक 06 सितम्बर, 2005 को अविक्रमित (निरस्त) करते हुये पुनः समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों का चिन्हांकन कर लिया गया है। चिन्हांकित पदों की सूची संलग्न है।

4. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों के अन्तर्गत चिन्हांकित पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाय। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा।

कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत करा दें ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या–/XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड।
3. निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या 196 /XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 तद्दिनांक का संलग्नक

RESERVSTION OF JOBS FOR PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS IN GROUP "A", "B" "C" AND GROUP "D" POST

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह 'क', 'ख' 'ग' व 'घ' के पदों पर आरक्षण

LIST OF IDENTIFIED POST

(चिन्हांकित पदों की सूची)

परिशिष्ट–"क"

PHYSICAL REQUIREMENTS

भौतिक आवश्यकतायें

Code कोड		
F एफ	1.	Work performed by manipulating (with fingers) हाथ चलाकर किये जाने वाले कार्य (ऊंगलियों से)
PP पीपी	2.	Work performed by pulling and pushing खींचकर तथा दबाकर किये जाने वाले कार्य
L एल	3.	Work performed by lifting उठाकर किए जाने वाले कार्य
KC केसी	4.	Work Performed by kneling and crouching. झुकर घुटने के बल कार्य निष्पादन
B बी	5.	Work Performed by bending (on bench or chair) झुककर किये जाने वाले कार्य (बेंच या कुर्सी)
S एस	6.	Work Performed by siting (on bench or chair) बैठकर किए जाने वाले कार्य (बेंच या कुर्सी)
ST एसटी	7.	Work Performed by standing खड़े होकर किए जाने वाले कार्य
W डब्लू	8.	Work Performed by walking चलकर किए जाने वाले कार्य
SE एस.ई.	9.	Work Performed by seeing देखकर किए जाने वाले कार्य
H एच	10.	Work Performed by hearing/speaing सुनकर किए जाने वाले कार्य

(3)

AIFB Kurukshetra

परिशिष्ट-

PHYSICAL CLASSIFICATION

कृत्यात्मक – वर्गीकरण

Code कोड़	Function कृत्य
BL बी0एल0	(i) Both legs affected but not arms दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं
BA बी0ए0	(ii) Both arms affected दोनों हाथ प्रभावित (a) Inpaird ह्रासित (b) Weakness of grip कमजोर पकड़
BLA बी0एल0ए0	(ii) Both legs and both arm affected दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
OL ओ0एल0	(iv) One leg affected (R and/ or L) एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)
OA ओ0ए0	(v) One arm affected (R & L) एक हाथ प्रभावित (दायां या बांया) (a) Impaired reach पैरों पर खड़े होने में असमर्थ (b) Weakness of grip पकड़ने में असमर्थ (c)ataxie स्नायु दुर्बलता
BH बी0एच0	(vi) Stiff back and hips (cannot sit or stoop) स्टिफ बैक एंड हिप्स (बैठ नहीं सकते)
FT एफ0टी0	(vii) Limited exercise to olerance early fatique. कम सहनशक्ति–कम थकावट
MW एम0डब्लू	(viii) Muscular weakness and limited physical मांस पेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति
IC आई0सी0	(ix) General in coordination of movement. चलने फिरने में कम समन्वय
B बी0	(x) The blind दृष्टिहीन
PB पी0बी0	(xi) Partially blind आंशिक दृष्टिहीन
D डी0	(xii) The deaf बधिर
PD पी0डी0	(xiii) Partially deaf आंशिक बधिर

Latest February, 2011

शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिये समूह 'क' व 'ख' के चिन्हांकित पद

क्र. स.	विभाग का नाम	पदनाम	समूह	पद के लिये उपयुक्त विकलांगजन की श्रेणियों
1.	बेसिक शिक्षा	1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,पी0बी0
		2. बेसिक शिक्षा अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,पी0बी0
2.	माध्यमिक शिक्षा	1. जिला विद्यालय निरीक्षक, एवं समकक्ष पद	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0, बी0
		2.प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्य (गैर सरकारी सहायता प्राप्त सहित)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,बी0, पी0बी0, पी0डी0 डी0
		3. प्रवक्ता (गैर सरकारी सहायता प्राप्त सहित)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0 पी0बी0, पी0डी0
		4. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		5. उप निदेशक	–	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		6. संयुक्त निदेशक	–	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		7. अपर सचिव	–	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		8. उप सचिव	–	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		(नोट– संगीत, साहित्य व सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित विषयों में प्रवक्ता के पद बी0 तथा पी0बी0 श्रेणी के लिए चिन्हित माने जायेंगे। शेष विषयों के प्रवक्ता पद के अन्य श्रेणी के प्रस्तावित विकलांगजन के लिए चिन्हित माने जायेंगे)		

3.	वन विभाग	1. उप वन संरक्षक	क	ओ0ए0, पी0डी0
		2. सांख्यिकी अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. सहायक वन संरक्षक	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0 बी0एल0, पी0बी0, पी0डी0
4.	श्रम विभाग	1.सहायक श्रमायुक्त/सहायक निदेशक कारखाना	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. उप श्रमायुक्त	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. चिकित्सा अधिकारी (श्रम)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		4. सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		5. श्रम अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		6. चिकित्सा अधिकारी (ई0एस0आई0)	ख	ओ0, ओ0एल0
		7. क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	–	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
		8. सहायक/जिला सेवायोजन अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
5.	वित्त विभाग			
	1. वित्त एवं लेखा परीक्षा	1. सहायक निदेशक/जिला सम्प्रेक्षा अधिकारी	ख	बी0ए0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
		2. प्रवक्ता	ख	बी0ए0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
	2. अल्प बचत	1. सहायक निदेशक/जिला बचत अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. अपर जिला बचत अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0

Letter February, 2011

	3 कोषागार	1. कोषाधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक कोषाधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,पी0बी0, पी0डी0
	4. स्थानीय लेखा परीक्षा	1. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,पी0बी0, पी0डी0
	5. फर्म्स एण्ड सोसाइटीज एवं चिटस	उप निबन्धक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी
6.	कर एवं निबन्धन			
	1. व्यापार कर	1. व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2	ख	ओ0ए0,ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. असिस्टेन्ट कमिश्नर व्यापार कर	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
	2. स्टाम्प एवं निबन्धन	1. सब रजिस्ट्रार स्टाम्प एवं निबन्धन	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0 पी0बी0, पी0डी0
	3. मनोरंजन कर	1. सहायक मनोरंजन कर आयुक्त	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. जिला मनोरंजन कर अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
	4. वाणिज्य कर अधिकरण	सदस्य	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0, बी0
7.	उच्च शिक्षा	1. प्रवक्ता	ख	ओ0ए0,बी0ए0 ओ0एल0,बी0,पी0बी0,डी0पी0डी0
		2. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, बी0,पी0बी0, पी0डी0
		3. उप शिक्षा निदेशक	ख	ओ0ए0, बी0,पी0बी0, पी0डी0

		4. सहायक शिक्षा निदेशक	ख	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		5. प्रचार्य (पी0जी0, सहायता प्राप्त महाविद्यालय सहित)	ख	ओ0ए0,बी0, पी0बी0, पी0डी0
		6. सहायक प्रोफेसर	ख	बी0ए0, ओ0ए0,बी0, पी0बी0, डी0, पी0डी0
		7. प्रोफेसर	–	बी0ए0, ओ0ए0, बी0, पी0बी0, डी0, पी0डी0
		8. रीडर	–	बी0ए0,ओ0ए0,बी0,पी0बी0,डी0,पी0डी0
		9. डिप्टी रजिस्ट्रार.	–	बी0ए0, ओ0ए0, बी0, पी0बी0,. डी0, पी0डी0
		10. रजिस्ट्रार	–	बी0ए0, ओ0ए0,बी0,पी0बी0, डी0,पी0डी0
		11. विधि अधिकारी (विश्वविद्यालय राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज सहित)	–	बी0ए0, ओ0ए0, बी0, पी0बी0,डी0, पी0डी0,
		12. सहायक विधि अधिकारी (विश्वविद्यालय राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज सहित)	–	बी0ए0, ओ0ए0, बी0, पी0बी0, डी0 पी0डी0
		13. संयुक्त शिक्षा निदेशक		बी0ए0, ओ0ए0, डी0, पी0डी0
		14. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी		बी0ए0, ओ0ए0, डी0, पी0डी0
		15. पी0आर0ओ0		बी0ए0, ओ0ए0बी0, पी0बी डी0,पी0डी0
		(नोट–क्रमांक 6,7 व 8 में उल्लिखित पदों में बी0 तथा पी0बी0 विकलांगता की श्रेणी के लिए केवल सामाजिक विज्ञान, साहित्य एवं संगीत के पद चिन्हित माने जायेंगे)		

8.	1. व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा	प्राचार्य–श्रेणी 1 व 2		ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
	2. प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर)	1. प्रवक्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0, बी0 (साहित्य सामाजिक विज्ञान)
	3. अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान/विश्वविद्यालय	1. रीडर	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0, बी0 (साहित्य सामाजिक विज्ञान)
		2. प्रवक्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0, बी0 (साहित्य सामाजिक विज्ञान)
9.	सचिवालय प्रशासन	1. अनुसचिव/उपसचिव	क	बी0एल0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
		2. अनुभाग अधिकारी	ख	बी0एल0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
		3. भाषा अधिकारी	ख	बी0एल0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
		4.निजी सचिव (ग्रेड–2)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		5. अपर निजी सचिव	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
10.	नियोजन विभाग	1. शोध अधिकारी (प्राविधिक)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0, पी0बी0
		2. अर्थ एवं संख्या अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. उप निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
11.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 1. होम्योपैथी	1. प्राचार्य	क	ओ0एल0
		2. प्रोफेसर	क	ओ0एल0
		3. रीडर	क	ओ0एल0

		4. प्रवक्ता	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		5. चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल कालेज)	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		6. रेडियोलॉजिस्ट	ख	ओ0एल0
		7. पैथालॉजिस्ट	ख	ओ0एल0
		8. आब्सटेटिशियन/ गाइनोकालॉजी	ख	ओ0एल0
		9. जनरल सर्जन	ख	ओ0एल0
		10. बायोकैमेस्ट्रि	ख	ओ0एल0
		11. एनेस्थिस्ट	ख	ओ0एल0
		12. चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सालय)	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		13. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ विधि अधिकारी	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		14. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
	2. आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें	1. प्रधानाचार्य/अधीक्षक	क	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. अधीक्षक (स्टेट फारमेसी)	क	ओ0ए0, ओ0एल0
		3. प्रोफेसर	क	ओ0ए0, ओ0एल0
		4. रीडर	क	ओ0ए0, ओ0एल0
		5. लैक्चरर	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0
		6. चिकित्सा अधिकारी (सामु0स्वा0)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0

		7. चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद एवं यूनानी)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0
		8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / विधि अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		9. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,पी0बी0, पी0डी0
	3.एलोपैथी	1. प्राचार्य	क	ओ0एल0, पी0बी0
		2. प्रोफेसर	क	ओ0एल0, पी0बी0
		3. रीडर	क	ओ0एल0, पी0बी0
		4. चिकित्सा अधिकारी	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		5. प्रवक्ता	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		6. चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल कॉलेज)	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		7.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / विधि अधिकारी	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		9. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
12.	चिकित्सा शिक्षा	1. प्रचार्य	क	ओ0एल0, पी0बी0
		2. प्रोफेसर	क	ओ0एल0, पी0बी0
		3. रीडर	क	ओ0एल0, पी0बी0
		4. एसोशियेट प्रोफेसर	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		5. प्रवक्ता / असि0 प्रोफेसर	ख	ओ0एल0, पी0बी0
		6. चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल कालेज)	ख	ओ0एल0, पी0बी0

(11)

		7. चिकित्सा अधिकारी (सामु0 स्वा0)	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		8. चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		9. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / विधि अधिकारी	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		10. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
13.	परिवार कल्याण विभाग	1. जिला प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0
		2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		3. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		4. जन शिक्षा एवं संचार अधिकारी / जिला प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0एल0, ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
14.	राज्य सम्पति विभाग	व्यवस्था अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
15.	लोक निर्माण विभाग	1. मुख्य अभियन्ता	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		2. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		3. सहायक अभियन्ता (सिविल)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		4. सहायक शोध अधिकारी	ख	ओ0एल0, बी0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		5. सहायक भू वैज्ञानिक	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		6. सहायक वास्तुविद	ख	ओ0एल0, बी0एल0, पी0डी0

Latest February, 2011

(18)

16.	समाज कल्याण विभाग	1. अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. समाज कल्याण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0 पी0बी0, पी0डी0
		3. प्रधानाचार्य	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0, पी0डी0
		4. अधीक्षक (संस्थायें)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		5. छात्रावास अधीक्षक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		6. प्रवक्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0 पी0बी0, बी0, पी0डी0, डी0
		7. संयुक्त प्रबन्धक (अनु0 जाति निगम)	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		8. जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
17.	विकलांग कल्याण विभाग	1. उप निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		2. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		3. प्रधानाचार्य	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		4.अधीक्षक (संस्थायें)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
18.	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
19.	अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ	1. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		2. मण्डलीय अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0

20.	महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग	1. जिला प्रोवेशन अधिकारी	ख	ओ0ए0ल0, ओ0ए0, पी0बी0, प
		2. अधीक्षक (संस्थायें)	ख	ओ0ए0ल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0ड
		3. उप निदेशक / सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी
		4. जिला कार्यक्रम अधिकारी	ख	ओ0ए0ल0 ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी
		5. विधि अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी
		6. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		7. बाल विकास परियोजना अधिकारी	ख	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
21.	राजस्व विभाग	1. तहसीलदार	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. चकबन्दी अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		4. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी	ख	ओ0ए0, पी0बी,, पी0डी0
		5. सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		6. उप संचालक चकबन्दी	ख	ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
22.	कृषि विभाग	1. जिला कृषि अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. क्षेत्र संगठक ब्यूरो विकास (शाखा)	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी0
		3 सहायक निदेशक (नियोजन)	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. विषयवस्तु विशेषज्ञ	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0, पी0डी0
		5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		6. उप निदेशक (प्र0)	ख	ओ0ए0, ओ0ए0ल0, पी0बी0

(14)

23.	कृषि विपणन विदेश व्यापार मंडी परिषद	1. मंडी सचिव	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		2. उप निदेशक (प्र0)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		3. लेखाधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0,पी0बी0, पी0डी0
24.	उद्यान विभाग	1. संयुक्त निदेशक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. उप निदेशक प्रसार	ख	ओ0ए, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. प्रभारी अधीक्षक प्रशिक्षण	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. जिला उद्यान अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
25.	खाद्य प्रसंस्करण	1. प्रधानाचार्य/फल संरक्षण अधिकारी/फल उद्योग विकास अधिकारी/प्रसार सेवा अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. जीव रसायनज्ञ श्रेणी–2	ख	ओ0ए0,ओ0एल0,पी0बी0, पी0डी0
		3. फल प्रौद्योगिकी विद	ख	ओ0ए0,ओ0एल0,पी0बी0, पी0डी0
		4. मुख्य रसायनज्ञ	ख	ओ0ए0,ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		5. सूक्ष्म जीव विज्ञानी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		6. शरीर क्रिया विज्ञानी एवं जीव रसायनज्ञ	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
26.	सिंचाई विभाग	1.मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता (केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय में परिकल्प कार्य तथा सिंचाई भवन एनेक्सी की अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट में)	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2.मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) (परिकल्प निदेशालय में परिकल्प कार्य तथा नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट में)	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0

(15)

		3. सहायक अभियन्ता (केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय में परिकल्प कार्य तथा सिंचाई भवन एनेक्सी की अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट में)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0,
		4. सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) (परिकल्प निदेशालय में परिकल्प कार्य तथा नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट में)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		5. सहायक वास्तुविद	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
27.	लघु सिंचाई			
	1. लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण	1. अधिशासी अभियन्ता	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक अभियन्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
	2. भूगर्भ जल	1. हाइड्रोलॉजिस्ट (विद्युत)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. सहायक भू–भौतिक विद (जियोलाजी/विद्युत)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. प्रशासनिक अधिकारी	ख	पी0बी0, पी0डी0
		5. कैमिस्ट	ख	पी0डी0, पी0बी0
28.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1. उप निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. भूमि संरक्षण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. जन सम्पर्क अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		4. विषयवस्तु	ख	ओ0,ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0

Kasrnau

16

29.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग 1. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1. प्राध्यापक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक प्राध्यापक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0 पी0बी0, पी0डी0
30.	आबकारी	1. उप आबकारी आयुक्त	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक आबकारी आयुक्त	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
31.	युवा कल्याण	जिला युवा कल्याण अधिकारी	ख	पी0डी0
32.	खेलकूद	1. क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी	ख	पी0बी0, पी0डी0
		2.क्रीडा अधिकारी	ख	पी0बी0, पी0डी0
		3. उप क्रीडा अधिकारी	ख	पी0बी0, पी0डी0
33.	आवास एवं शहरी नियोजन उत्तराखण्ड विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयित सेवा)	1. सहायक अभियन्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक नगर नियोजक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. उप सचिव	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, डी0, पी0डी0
		4. लेखाधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, पी0बी0, डी0, पी0डी0
		5. आर्किटेक्ट	ख	ओ0एल0, पी0बी0

Latest February, 2011

(17)

34.	नगर विकास			
	1. उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित सेवा)	1. अपर मुख्य नगर अधिकारी	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. उप नगर अधिकारी	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. अधिशासी अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. कर निर्धारण अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		5. सहायक अभियन्ता सिविल)/विद्युत/यांत्रिक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		6. जोनल सफाई अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		7. मुख्य सफाई अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0डी0
		8. सहायक अभियन्ता (जलकल)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
	2. जल संस्थान	सहायक अभियन्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
	3. जल निगम	1. सहायक अभियन्ता (सिविल)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक अभियन्ता (विद्युत)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
35.	खाद्य एवं रसद विभाग			
		1. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. जिला पूर्ति अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0

(18)

		3. जिला खाद्य विपणन अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
36.	ग्राम्य विकास	1. मुख्य विकास अधिकारी	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. परियोजना निदेशक/ डी0डी0ओ0	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. खण्ड विकास अधिकारी/ संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
37.	परिवहन	1. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. यात्री कर अधिकारी	ख	ओ0ए0,पी0बी0, पी0डी0
		3. माल कर अधीक्षक	ख	ओ0ए0,पी0बी0, पी0डी0
		4. क्षेत्रीय प्रबन्धक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
38.	ऊर्जा	1. सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. उप निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
39.	अतिरिक्त ऊर्जा	1. प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. अर्थ अधिकारी	ख	ओ0ए, ओ0एल0
		3. प्रचार अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		4. प्रोग्राम अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0डी0
40.	विधानसभा सचिवालय	1. अनु सचिव/उप सचिव	क	ओ0एल0, बी0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
		2. अनुभाग अधिकारी	ख	ओ0एल0, बी0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0

Letter February, 2011

(19)

41.	विधान परिषद सचिवालय	1. अनु सचिव/उप सचिव	क	ओ0एल0,बी0एल0, ओ0ए0, पी[illegible] पी0डी0
		2. अनुभाग अधिकारी	ख	ओ0एल0,बी0एल0, ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
42.	गृह विभाग			
	1. विधि विज्ञान प्रयोगशाला	सहायक निदेशक (टाक्सिकलोजी)	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
	2. अभियोजन निदेशालय	सहायक अभियोजन अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0, पी0डी0
43.	पशुधन विभाग	1. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. पशु चिकित्सा अधिकारी (लैब)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		3. उप निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. पशुधन प्रसार अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0
44.	दुग्ध विकास विभाग	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
45.	मत्स्य विभाग	1. सहायक निदेशक मत्स्य	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. प्रवक्ता	ख	ओ0ए0,ओ0एल0
		3. मत्स्य विकास अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		4. मत्स्य प्रसार अधिकारी	ख	ओ0ए0, पी0बी0 ओ0ए, बी0ए0, ओ0एल0
46.	सहकारिता	सहायक निबन्धक	ख	पी0बी0, पी0डी0
47.	पंचायती राज	जिला पंचायत राज अधिकारी	ख	ओ0ए0, बी0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
48.	चीनी उद्योग	जिला गन्ना अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0

(20)

49.	खादी ग्रामोद्योग	1. प्रशिक्षक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0,पी0बी0, पी0डी0
		2. ग्रामोद्योग अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
50.	लघु उद्योग	1. सहायक निदेशक, उद्योग (गैर तकनीकी पद)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. प्रबन्धक (तकनीकी पद)	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
51.	औद्योगिक विकास विभाग 1. मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
	2. भूतत्व खनिकर्म निदेशालय	1. संयुक्त निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		2. उप निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
52.	नियुक्ति	1. डिप्टी कलेक्टर (कार्यकारी शाखा)	ख	बी0ए0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
		2. पी0सी0एस0, (जे0)	ख	बी0ए0, ओ0एल0, ओ0ए0, पी0डी0, पी0बी0
53.	सार्वजनिक उद्यम	1. संयुक्त निदेशक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
		2. उप निदेशक	क	ओ0ए0,ओ0एल0, पी0बी0, बी0
		1. शोध अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
		2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ख	ओ0ए0,बी0,पी0बी0, पी0डी0
54.	रेशम	1. उप निदेशक, रेशम	क	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
		2. सहायक निदेशक, रेशम	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, बी0, पी0बी0, पी0डी0
55.	औद्योगिक विकास विभाग (मुख्य कार्यपालक) कार्यालय	1. सहायक परियोजना अभियन्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0
		2. सहायक अभियन्ता मकैनिक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0डी0

21

56.	निर्वाचन	1. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / अनुभाग अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
57.	पर्यावरण			
	1. पर्यावरण निदेशालय	1. उप निदेशक	क	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. सहायक निदेशक पर्यावरण	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
	उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड	1. सहायक पर्यावरण अधिकारी	ख	ओ0ए0,
		2. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		3. सहायक पर्यावरण अभियन्ता	ख	ओ0ए0
58.	पर्यटन	1. संयुक्त निदेशक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
		2. उप निदेशक/सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
59.	भाषा	शोध अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0
60.	संस्कृति			
	1. संस्कृति निदेशालय	1. सहायक निदेशक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
	2. उत्तराखण्ड संग्रहालय निदेशालय	1. निदेशक श्रेणी–2	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. संग्रहालयाध्यक्ष	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
61.	सूचना	1. सहायक दूरदर्शन अभियन्ता	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. फिचर लेखक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0

		3. सूचना अधिकारी / अतिरिक्त सूचना अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0
62.	सार्वजनिक उद्यम	1. संयुक्त निदेशक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
		2. उप निदेशक	क	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
		3. शोध अधिकारी	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, बी0
63.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रिमोट सेन्सिंग अप्लेकशन सेन्टर	1. तकनीकी सचिव	ख	ओ0ए0, ओ0एल0
		2. वैज्ञानिक	ख	ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0, पी0डी0,डी0, बी0एल0

शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए पदों को
समूह "ग" या समकक्ष पद

क्रं. सं.	पदनाम	पद के उपयुक्त विकलांगजन की
1.	प्रयोगशाला सहायक मृदा	ओए0, ओ0एल0, बीएल0, पीडी0, डी0
2.	प्रयोगशाला सहायक, रासायनिक	ओए0, ओ0एल0, बीएल0, पीडी0, डी0
3.	प्रयोगशाला सहायक, भूतत्व	ओए0, ओ0एल0, बीएल0, पीडी0, डी0
4.	सर्वेयर टोपोग्राफिकल	बी0एल0, ओएल0, पीडी0, डी0
5.	सर्वेयर फोटोग्रामेटिक	पीडी0, डी0 ओए0
6.	सर्वेयर माइन	पीडी0, डी0 ओए0
7.	कृषि अभियन्ता	पीडी0 डी0ओए0, ओएल0, बीएल0
8.	कम्प्यूटर टाप	बीएल0, ओएल0, डी0 पीडी0
9.	ट्रेसर	बीएल0, ओएल0 एफ0टी0डी0 पीडी0
10.	ब्लू प्रिन्टर	बीएल0 ओएल0 पी0टी0 पीडी0
11.	प्रयोगशाला सहायक बोटेनिक	डी0 पीडी0 ओए0 ओएल0 बीएल0
12.	सांख्यकीय सहायक	ओ0एल0 बीएल0 डी0 पीडी0 पीटी0 ए पीबी0
13.	पुस्तकालयाध्यक्ष	ओएल0 ओए0
14.	भाषा विशेषज्ञ	बी0एल0 ओएल0 एमडब्लू एफ0टी0 ओए0 ड
15.	अनुवादक	ओएल0 पीएल0 एम0डब्लू एफ0टी0 पी0बी0
16.	दुभाषिया	ओएल0 बीएल0 ओए0
17.	विधि सहायक	ओएल0 ओए0, बी0 पीबी0 पीडी0
18.	श्रेस्तदार (न्यायिक लिपिक/रीडर आदि)	ओएल0 बीएल0 ओए0
19.	पिटीशन राइटर	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 एफटी0
20.	उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय अध्यापक	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 सीए0 (सभी विष लिए) बी0पी0बी0 (सामाजिक विज्ञान मानव तथा संगीत के लिए)
21.	भाषा अध्यापक उच्चतर माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालय	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 ओए0 पीबी0 बी0
22.	उच्चतर माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालय अध्यापक	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 ओए0 पीबी0 बी0 पी0 डी0
23.	जूनियर विद्यालय अध्यापक	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 ओए0 (सभी विष लिए) पी0 बी0 बी0 (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं संगीत के लिये)
24.	भाषा अध्यापक जूनियर स्कूल	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 ओए0 पीबी0 बी0
25.	जूनियर स्कूल अध्यापक	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 ओए0 पीबी0 बी0 पी0 डी0
26.	प्राइमरी विद्यालय अध्यापक	ओएल0 बीएल0, एमडब्लू0 ओए0 पीबी0 बी0, पी0 डी0
27.	प्राइमरी विद्यालय अध्यापक अन्य	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू ओए0 पीबी0, बी0, पी0 डी0

28.	अध्यापक शिशु विद्यालय	ओएल0 ओए0 बीएल0 एफटी0 एमडब्लू पीबी0, बी0 डी0 पी0डी0
29	अध्यापक दृष्टिबाधित	बी0 पीबी0 ओएल0, बीएल0 ओए0 एफटी0 एमडब्लू0
30.	अध्यापक बधिर	ओएल0 ओए0 बीएल0 एफटी0 एमडब्लू0
31.	कला अध्यापक	ओएल0 ओए0 बीएल0 एफटी0
32.	हस्तलिपि विशेषज्ञ	ओएल0 ओए0 बीएल0 एफटी0
33.	अंगुली छाप विशेषज्ञ	ओए0 ओएल0 बीएल0 एफटी0
34.	कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, अनुभाग प्रभारी, हैड असिस्टेन्ट, पर्यवेक्षक (लिपिकीय)	ओएल0, ओए0, बी0, पीबी0, बीएल0, बीए0
35.	निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक व अन्य (लिपिकीय)	ओएल0 ओए0
36.	कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	ओएल0 ओए0, बी0 पी0बी0
37.	लिपिकीय तथा अन्य पर्यवेक्षक जो दूसरी जगह वर्णित न हो	ओएल0 ओए0
38.	निजी सचिव/कम आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक	ओएल0 बीएल0 बीपी0
39.	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	ओएल0 बीएल0 पीबी0 बी0
40.	रिपोर्टर	ओएल0 बीएल0 पीबी0 बी0
41.	टंकक	बी0, पीबी0, ओएल0, बीएल0, डी0 पीडी0
42.	टेली प्रिन्टर आपरेटर/टैलीटाइम आपरेटर	ओएल0 बीएल0 ओए0 पीबी0
43.	आशुलिपिक, टंकक तथा कार्ड व टेप पंचिंग मशीन आपरेटर (एन. इ. सी.)	ओएल0 बीएल0 ओए0 डी0 पीडी0
44.	लेखा लिपिक	ओए0 बीएल0 ओएल0 एफटी0 एमडब्लू पीडी0
45.	संगणक/कम्प्यूटर	ओए0 बीएल0 ओएल0 डी0 पी0डी0 पीबी0बी0
46.	लिपिक/कनिष्ठ लिपिक (सामान्य)	ओएल0 ओए0 बीएल0 डी0 पीडी0 पीबी0 बी0
47.	पूछताछ लिपिक/या सूचना लिपिक	ओएल0 ओए0 बीएल0 बी0 पीबी0
48.	स्टोर कीपर/स्टोर क्लर्क/गोडाउन कीपर/वेयरहाउसमैन	ओएल0 ओए0
49.	स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर/भण्डार वितरक	ओएल0 ओए0
50.	स्टाक वेरीफायर	ओएल0 ओए0 पीबी0 पीडी0
51.	स्वागती (होटल)	ओए0 ओएल0 बीएल0 पीबी0
52.	स्वागती क्लर्क/स्वागती	ओए0 ओएल0 बीएल0 पीबी0
53.	वयरलेस आपरेटर	ओएल0 बीएल0 एमडब्लू0 बीएच0
54.	सेल्स सुपरवाइजर/बिक्रीपर्यवेक्षक	ओ0ए0
55.	टूरिस्ट गाइड	ओ0ए0
56.	दुग्धशालय पर्यवेक्षक	पीडी0 डी0 ओए0 ओएल0
57.	नर्सरी मैन/ पौधशाला सहायक	पीडी0 डी0
58.	माली (सामान्य)	पीडी0 डी0
59.	श्रमिक (पौधशाला प्लांट्री वर्कर स्पेयिमवर्कर, पिकर/प्लकर	पीडी0 डी0 ओए0 ओएल0
60.	ट्रैक्टर आपरेटर	पीडी0 डी0

25

61.	पाउल्ट्री फार्म वर्कर	पीडी0 डी0
62.	परीक्षक	बीएल0 ओ0
63.	फोटो स्टेट कैमरा आपरेटर	बीएल0 ओएल0 डी0 पीडी0
64.	बुक बैंडर (पुस्तक जिल्दसाज)	बीएल0 ओएल0 डी0 पीडी0
65.	बुक रीडर	बीएल0 ओएल0 डी0 पीडी0
66.	कैन्डिल मेकर	बी0 पी0बी0 ओ0एल0 बी0एल0 पी0डी0
67.	कैन्डिल माउल्डर	बी0 पी0बी0 ओ0एल0 बी0एल0 पी0डी0 डी0
68.	नायब तहसीलदार	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
69.	कानूनगो	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
70.	कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
71.	वन क्षेत्राधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
72.	हिन्दी ट्रांसलेटर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0 बी0
73.	इन्टर प्रियेटर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0 बी0
74.	क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0 बी0
75.	म्यूजिक कम्पोजर, सिंगर, म्यूजिक टीचर, म्यूजीशियन इंस्ट्रूमेंट	बी0 पी0 बी0
76.	स्क्रिप्ट राइटर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
77.	प्रोग्राम एनांउसर	बी0 पी0बी0
78.	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
79.	सहायक विद्यालय निरीक्षक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
80.	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर/जूनियर डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
81.	टाइंग कीपर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
82.	प्रूफ रीडर (ब्रेल)	पी0 बी0 बी0
83.	ग्राउन्डस मैन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
84.	कृषि सहायक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
85.	बीडी/सिगरेट/तम्बाकू मेकर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
86.	मशीन आपरेटर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
87.	टॉय/पिथ/पिक्चर फ्रेम/स्मोकिंग पाइप मेकर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0 बी0
88.	सहायक विकास अधिकारी	ओए0 पी0डी0 पी0बी0
89.	संग्रह अमीन	ओए0 पी0डी0
90.	म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
91.	फर्नीचर/बास्केट/मेट विवर/ब्रूम/चिक/अगरबत्ती/डॉल मेकर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
92.	एयर कंडीशन एण्ड रैफ्रिजरेटर मैकेनिक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
93.	ट्यूबेल/पम्प आपरेटर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
94.	मिल्क डेरी अटेन्डेन्ट	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
95.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य टैक्नीशियन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
96.	ड्रैसर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0

96

97.	कामदार	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
98.	व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
99.	स्वास्थ्य निरीक्षक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
100.	स्टॉक मैन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
101	हैरिटीकल्चर इंस्पेक्टर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
102.	प्लम्बर	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
103.	बॉयलर अटेन्डेन्ट	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
104.	किचर पोर्टर/बटलर/स्टीवर्ड	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
105.	राजस्व निरीक्षक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
106.	डाइटिशियन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
107.	सहायक सम्पादक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
108.	रिसर्च असिस्टेन्ट लॉ	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
109.	असिस्टेन्ट वार्डेन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
110	गार्डनर हेड	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
111.	नर्सरी मैन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
112.	लिंगल असिस्टेन्ट	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
113.	सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
114	सहायक प्रबन्धक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
115	समीक्षा अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
116	सहायक समीक्षा अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
117	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
118	विधि अधिकारी (अराजपत्रित)	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
119	बस कंडेक्टर	ओएल0 ओए0 पी0डी0
120	ग्राम विकास अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
121	सहायक सेवायोजने अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
122	सहायक अभियोजन अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
123.	कर अधीक्षक	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
124.	प्रशासनिक अधिकारी	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
125.	अवर अभियन्ता	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
126.	चीफ फार्मासिस्ट	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
127.	ड्राफ्टमैन	ओएल0 ओए0 पी0डी0 पी0बी0
128.	यात्री कर अधीक्षक	ओए0 ओएल0
129.	सहायक लेखाकार	ओए0 ओएल0
130.	सहायक विकास अधिकारी (आई. एस. बी.)	ओए0 पी0बी0 पी0डी0
131.	संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी	ओए0 ओएल0 पी0डी0
132.	अनुदेशक	ओए0 ओएल0 पी0बी0 बी0
133.	भाषा अनुदेशक	ओए0 ओएल0 पी0बी0 बी0
134.	फार्मासिस्ट	ओए0 ओएल0
135.	संख्या सहायक	ओए0 ओएल0 पी0बी0 पी0डी0
136.	लेखा परीक्षक	ओए0 ओएल0 पी0बी0 पी0डी0
137.	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	ओए0 ओएल0 पी0बी0 पी0डी0

138.	सहायक सम्परीक्षा अधिकारी	ओ0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
139.	संग्रह अमीन	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
140.	निबंधन लिपिक	ओ0ए0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
141.	मुख्य निबंधन लिपिक	ओ0ए0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
142.	मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–1	ओ0ए0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
143.	मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2	ओ0ए0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
144.	फोरमैन	ओ0ए0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
145.	सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.बी.)	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
146.	फिजियोथेरापिस्ट	पी0बी0 बी0 पी0डी0 ओ0ए0 ओ0ए0
147.	नोन मेडिकल असिस्टेनट	पी0बी0 ओ0ए0ए0 ओ0ए0 पी0डी0
148.	नर्स उपचारिका, सिस्टर	ओ0ए0ए0
149.	स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	पी0बी0 पी0डी0
150.	वैक्सीनेटर	पी0बी0 पी0डी0
151.	मलेरिया निरीक्षक	पी0डी0
152.	खाद्य निरीक्षक	पी0डी0 पी0बी0
153.	सहायक चकबन्दी अधिकारी	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
154.	सहायक भू अधिकारी	पी0डी0
155.	अवर अभियन्ता	ओ0ए0 ओ0ए0ए0 पी0बी0 पी0डी0
156.	मण्डी पर्यवेक्षक	ओ0ए0 ओ0ए0ए0 पी0डी0
157.	प्रोग्रामर	ओ0ए0 ओ0ए0ए0 पी0बी0 पी0डी0
158.	सहायक विकास अधिकारी (स0क0)	ओ0ए0 ओ0ए0ए0
159.	सहायक प्रबन्धक (अनु0 जा0 वि0 निगम)	ओ0ए0 पी0डी0
160.	रेडियोलॉजिस्ट	ओ0ए0 ए0ए0
161.	पैथालॉजिस्ट	ओ0ए0ए0
162.	क्ष इंस्पेक्टर	पी0बी0 ओ0ए0ए0 पी0डी0 ओ0ए0
163.	ष्ठ इंस्पेक्टर	पी0बी0 ओ0ए0ए0 पी0डी0 ओ0ए0
164.	मुख्य सेविका	पी0बी0 पी0डी0 ओ0ए0
165.	वसूली सहायक	पी0डी0
166.	जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
167.	कानूनगो	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0 ओ0ए0ए0
168.	लेखपाल	पी0डी0
169.	अमीन	पी0डी0
170.	सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो	पी0डी0
171.	रजिस्ट्रार कानूनगो	पी0डी0
171.	चकबन्दी कर्ता	ओ0ए0 पी0बी0पी0डी0
173.	ट्रेसर	ओ0ए0ए0 पी0डी0
174.	सहायक उद्यान निरीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
175.	उद्यान निरीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
176.	वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
177.	सहायक भू संरक्षण निरीक्षक	पी0डी0 ओ0ए0 पी0बी0

178.	आबकारी निरीक्षक	ओ0ए0 पी0डी0
179.	व्यायाम प्रशिक्षक	पी0डी0
180.	राजस्व निरीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
181.	कार्यालय अधीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
182.	सीनियर सप्लाई इंस्पेक्टर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
183.	एम0आई0 मार्केटिंग इंस्पेक्टर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
184.	सीनियर मार्केटिंक इंस्पेक्टर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
185.	विपणन सहायक	पी0डी0
186.	आर0 आई0 (सम्भागीय निरीक्षक)	पी0डी0 ओ0ए0
187.	एनाउन्सर	बी0 पी0बी0 बी0एल0
188.	निरीक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
189.	वैज्ञानिक सहायक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
190.	अन्वेषक कम संगणक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
191.	पशु औषधिक	पी0बी0 पी0डी0
192.	डेरी सुपरवाइजर	पी0बी0 पी0डी0 ओ0ए0 ओ0एल0
193.	प्रयोगशाला सहायक	बी0 एल0 ओ0एल0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
194.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक,	ओ0एल0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
195.	राजकीय दुग्ध परिवेक्षक	ओ0एल0 ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
196.	मत्स्य सहायक	ओ0ए0 पी0बी0
197.	ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
198.	मत्स्य निरीक्षक	ओ0ए0 पी0बी0 पी0डी0
198.	मछुआ	पी0बी0 पी0डी0
200.	सहायक निरीक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
201.	एडी0पी0आर0 ओ0	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 बी0एल0 पी0डी0
202.	खण्ड सारी निरीक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
203.	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
204.	गन्ना विकास निरीक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
205.	परिवेक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
206.	औद्योगिक सहकारी परिवेक्षक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
207.	शिक्षक (चर्म)	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0 बी0
208.	कताई परिवेक्षक	पी0बी0 पी0डी0
209.	अनिवेषक संगणक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
210.	सहायक फोरमैन	ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
211.	फोरमैन	ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
212.	आफसेट मशीन मैन	ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
213	कम्पोजीटर	ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
214.	टास्क	ओ0एल0 पी0बी0 पी0डी0
215.	रीडर	ओ0एल0 ओ0ए0 बी0एल0 पी0बी0 पी0डी0
216.	बाइन्डर	बी0ओ0एल0 ओ0ए0 बी0एल0 पी0बी0 पी0डी0 डी0
217.	मशीन परिचर	बी0 ओ0ए0 पी0डी0 पी0बी0
218.	मोनोकास्टर	बी0 ओ0ए0 पी0डी0 पी0बी0

219.	सहायक जिल्दसाज	बी०ओ०एल० ओ०ए० बी०एल० पी०बी० पी०डी० डी०
220.	कापी होल्डर	पी०बी० बी०
221.	काउन्डरी सहायक	पी०डी० ओ०एल०
222.	काउन्टर	बी०एल० ओ०एल० पी०डी० पी०बी०
223.	पावरलूम निरीक्षक	ओ०ए० पी०डी० पी०बी० ओ०एल०
224.	औद्योगिक परिवेक्षक	ओ०ए० पी०डी० पी०बी० ओ०एल०
225.	निरीक्षक वस्त्र	ओ०ए० पी०डी० पी०बी० ओ०एल०
226.	निरीक्षक (रेशम)	ओ०ए० पी०डी० पी०बी०
227.	फील्ड एवं प्रयोगशाला सहायक	ओ०ए० पी०डी० पी०बी०
228.	कीट पालक	पी०डी० पी०बी०
229.	सहायक पर्यटन अधिकारी	ओ०ए० पी०डी० पी०बी० ओ०एल० बी०
230.	वरिष्ठ शाखा	ओ०ए० ओ०एल० पी०बी० पी०डी०
231.	पौध संरक्षण शाखा	ओ०ए० ओ०एल० पी०बी० पी०डी०
232.	विकास शाखा	ओ०ए० ओ०एल० पी०बी० पी०डी०
233.	कृषि रक्षा शाखा	ओ०ए० ओ०एल० पी०बी० पी०डी०
234.	शोध शाखा	ओ०ए० ओ०एल० पी०बी० पी०डी०
235.	क्षेत्रीय अनुसंधान	पी०डी० ओ०ए०
236.	वेरीफायर आपरेटर	पी०डी० ओ०ए०
237.	सहायक विकास अधिकारी	ओ०ए० पी०डी० पी०बी०

शारीरिक रूप से विकलांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन समूह "घ'

क्रं.सं.	पदनाम	पद के उपयुक्त विकलांगजन की श्रेणी
1	दफतरी परिचारक	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 बी0 पी0बी0
2.	चपरासी	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
3.	फर्राश	ओ0ए0 ओ0एल0 डी0 पी0डी0 पी0बी0
4.	प्रोसेस सर्वर	ओ0ए0 डी0 पी0डी0 पी0बी0
5.	अकुशल कार्मिक	पी0डी0 ओ0ए0 ओएल0 पी0बी0
6.	डप्लीकेटर मशीन एवं साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर	पी0डी0 ओ0ए0 ओएल0 पी0बी0 डी0
7.	स्वीपर ड्राई	पी0डी0 डी0 पी0बी0
8.	स्वीपर वेट	पी0डी0 डी0 पी0बी0
9	स्वीपर (सीवर)	पी0डी0 डी0 पी0बी0
10.	स्वच्छकार व अन्य सम्बन्धित कर्मी	पी0डी0 डी0 पी0बी0
11.	पिआऊ कर्मी	पी0डी0 डी0 पी0बी0
12.	धोबी	पी0डी0 डी0 पी0बी0
13.	स्टेन्सिलर	ओ0ए0 बी0एल0 ओ0एल0 पी0डी0 डी0
14.	स्टाम्पर हैण्ड	ओ0ए0 बी0एल0 ओ0एल0 पी0डी0 डी0
15.	आया	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
16.	अटेन्डेन्ट	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
17.	कारपेट विवर/रिर्पेयर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
18.	गेट कीपर/एनिमल कीपर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
19.	बियरर्स	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
20.	कुली	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
21.	कैन्टीन एम्पलाइज	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
22.	मेस हेल्पर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
23.	मलेरिया वर्कर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
24.	गार्डन गार्ड	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
25.	बेल मैन	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
26.	डेरी मैन	ओ0ए0 बी0एल0 ओ0एल0 पी0डी0 डी0
27.	पोर्टरी फार्म वर्कर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
28.	नेट मेकर	ओ0ए0 ओ0एल0 पी0डी0 पी0बी0
29.	वार्ड ब्याय	ओएल0 पी0डी0
30.	गैंगमैन/फील्डवर्कर	पी0बी0 पी0डी0
31.	क्लीनर, बेलदार, हेल्पर	पी0बी0 पी0डी0
32.	सी0पी0, मिक्सर, मेट, वर्क एजेन्ट	पी0बी0 पी0डी0
33.	चैनमैन	पी0बी0 पी0डी0
34.	स्वच्छकार	पी0डी0 डी0

(31)

दृष्टिहीनों के लिए प्रशासकीय पद समूह ''ग'' तथा ''घ''

1. उद्घोषक बस स्टेशन
2. उपकरण वाद्य (स्टाफ आर्टिस्ट) (टी) स्टाफ कलाकार
3. (मासर्स) मालीशिया
4. संगीतज्ञ (टी)
5. संगीत अध्यापक (टी)
6. कार्यालय अधीक्षक (एच)
7. आशुलिपिक (डिक्टाफोन) तथा डिजिटल टाइपराइटर सहित
8. पानी वाला (टी)
9. अध्यापक (प्राइमरी) (टी एण्ड ए)
10. अध्यापक (सामाजिक) विज्ञान (टी)
11. टेलीफोन आपरेटर (स्माइल बोर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक्स बीप एण्ड इम्बास्ड डिजिस्ट्र)

आंशिक दृष्टिहीन

1. पत्रवाहक
2. डिस्पैच (टी) प्रेषण लिपिक
3. गेस्ट आपरेटर (टी एण्ड ए)
4. चपरासी
5. स्वागती (टी एण्ड ए)
6. विश्राम–कक्ष परिचारक
7. स्वीपर–सफाई कर्मी
8. प्रतीक्षालय कक्ष परिचारक

संकेत– (टी)–(प्रशिक्षक सहित)
(एच)–(सहायक सहित)
(ए)–(उपकरण सहित)

दृष्टिहीनों तथा आंशिक दृष्टिहीन के लिए पदों की अनुपूरक सूची

1. बेंत बुनकर
2. लिफ्ट चालक
3. संगीत अनुदेशक
4. क्लाक वाइंडर कड़ी चालक
5. कार्पिंग मशीन आपरेटर
6. जिल्दसाज
7. फोटो स्टेट मशीन आपरेटर आंशिक दृष्टिहीन
   1. शियरिंग मशीन आपरेटर
   2. स्क्रेपर

टिप्पणी:– परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' में संकेताक्षर वर्णित हैं।

कार्यालय आयुक्त निःशक्तजन, उत्तराखण्ड,

(निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत स्थापित)
कार्यालय – 100 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून। फोन नं0 0135 – 2669981

संख्या : 42 /आ0वि0ज0/2011
दिनांक 30 अप्रैल, 2011

आदेश

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तराखण्ड।

संज्ञान में आया है कि विकलांगजनों को अलग–अलग जनपदों से विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। निर्देशित किया जाता है कि विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व आवेदक के निवास प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अवश्य प्राप्त कर सत्यापन किये जाने के पश्चात ही प्रमाण–पत्र जारी किया जाय। प्रमाण–पत्र केवल उसी जनपद में बनाया जाय जहां का वो निवासी हो तथा उसे रिकार्ड में रखा जाय ताकि एक ही विकलांग व्यक्ति के कई जनपदों से निर्गत किये जा रहे प्रमाण–पत्रों पर रोक लग सके।

यदि अलग–अलग जनपदों से एक ही व्यक्ति को दो विकलांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते हैं तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

ह0–

(बी0 आर0 टम्टा)
आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा कुमायूं/गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

ह0–

(बी0 आर0 टम्टा)
आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या 655 / XVII–2 / 2011–157(स0क0) / 2002
देहरादून दिनांक 05 जुलाई 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, विकलांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1996) की धारा 13 की उपधारा (1) और (2) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना संख्या–249 / 2001 दिनांक 28 मई, 2001 को अधिक्रमित करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उक्त अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों के पालन के लिए निम्नवत राज्य समन्वय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	मा0 मंत्री, समाज कल्याण ।	अध्यक्ष (पदेन)
2.	मा0 समाज कल्याण राज्य मंत्री, यदि कोई हो।	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
5.	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
6.	सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
7.	सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
8.	सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
9.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
10.	सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
11.	सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
12.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
13.	सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य (पदेन)
14.	आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य (पदेन)
15.	श्री किशोर बहुगुणा, सिद्धी गणनायक विकलांगोत्थान संस्थान, 22/11 तेग बहादुर रोड़, लेन नं0 4 देहरादून।	सदस्य (पदेन)
16.	श्री पिताम्बर चौहान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, 58/2 कैनाल रोड़, जाखन, देहरादून, उत्तराखण्ड।	सदस्य (पदेन)
17.	श्री उमेश ग्रोवर,टाइटन वॉच कम्पनी, मन्नू गंज, देहरादून।	सदस्य (पदेन)

18. श्री बुद्धदेव आर्या, भारतीय विकलांग कल्याण विकास संस्थान, 30/3 गली नं0 3, न्यू विष्णु गार्डन कालोनी, कनखल हरिद्वार। — सदस्य (पदेन)
19. कु0 कान्ता चौहान, सिद्धी गणनायक विकलांगोत्थान संस्थान, ग्राम सिरमौर, पो0 मोरी, जनपद उत्तरकाशी। — सदस्य (पदेन)
20. श्री अजय टम्टा (विधानसभा सदस्य) — सदस्य
21. श्री कुलदीप कुमार (विधानसभा सदस्य) — सदस्य
22. श्री देवेन्द्र पडियार, ग्राम अरखुण्ड, पो0 चन्द्रापुरी, रूद्रप्रयाग। — सदस्य (कृषि)
23. श्री कमल सिंह जगवाण, तिलवाड़ा, रूद्रप्रयाग। — सदस्य (व्यापार)
24. श्री अमरेश सिंह, ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर उधमसिंहनगर। — सदस्य (उद्योग)
25. प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन। — सदस्य सचिव(पदेन)

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्याः-655/XVII-2/2011-157(स0क0)/2002तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री समाज कल्याण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।
8. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग उत्तराखण्ड।
11. राज्य समन्वय समिति के समस्त सदस्य।
12. विधायी अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित उक्त को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां, समाज कल्याण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः२०७ / xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांकः 13 अक्टूबर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।

(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।

(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकतें हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त

42

संख्या :207 (1)/XXVII(7)34/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

43

कार्यालय आयुक्त नि:शक्तजन, उत्तराखण्ड,

(नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत स्थापित)
कार्यालय – 100 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून। फोन नं0 0135 – 2669981

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या : 284 / आ0नि0ज0 / 2011
दिनांक : 29 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,

सचिवालय प्रशासन / वन / पर्यटन / लोक निर्माण / राज्य सम्पत्ति / आवास एवं नगर विकास / उच्च शिक्षा / विद्यालयी शिक्षा / चिकित्सा / चिकित्सा शिक्षा / शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– नि:शक्तजनों के लिए बाधारहित वातावरण बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुपालन में विकलांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण का निर्माण सवैंधानिक जिम्मेदारी है। भारत भ्रमण पर देहरादून पहुँचे विजय मर्चेन्ट रिहेबिलिटेशन सेन्टर फॉर द डिसएवल्ड, मुम्बई के प्रतिनिधि सुश्री नीनू केवलानी, सुश्री सुनीता संचेती व श्री अरविन्द प्रभु (सभी विकलांग) के द्वारा दिनांक 14.10.2011 को अधोहस्ताक्षरकर्ता से भेंट की। इनके द्वारा देहरादून में स्थित एफ0आर0आई तथा सचिवालय में भ्रमण किया गया तथा निम्न बिन्दुओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. उत्तराखण्ड सचिवालय में विकलांग कल्याण अनुभाग भूतल पर स्थापित करने तथा प्रत्येक भवन में नि:शक्तजनों हेतु बाधारहित प्रसाधन कक्ष का निर्माण अनिवार्य रूप से कराये जाने की मांग की गई है। सचिवालय परिसर में सभी भवनों को बाधारहित आवागमन की व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाय।
2. वन विभाग के अन्तर्गत संचालित एफ0आर0आई0 को नि:शक्तजनों के आवागमन हेतु बाधारहित एवं सुगम प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था नहीं पायी गई है।
3. राज्य में संचालित पर्यटन विभाग / राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन निर्मित अतिथि गृह तथा पर्यटन स्थल हैं। उनमें नि:शक्तजनों के सुगम आवागमन हेतु बाधारहित वातावरण एवं सुगम प्रसाधन कक्ष की स्थापना की जाय।

यह संज्ञान में लाया गया है कि राज्य में संचालित होटलो में नि:शक्तजनों के लिए कहीं भी बाधारहित आवागमन एवं प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। अतः आवास विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य में कहीं भी होटल निर्माण हेतु नक्शा की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत भवन के मानचित्र में नि:शक्तजनों हेतु बाधारहित आवागमन एवं प्रसाधन कक्ष की समुचित व्यवस्था की गई है या नहीं ?

4. चिकित्सा शिक्षा/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून एवं उच्च शिक्षा विभाग/विद्यालयी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेज/इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय/विद्यालयों एवं उनके छात्रावासों में निःशक्तजनों के लिए बाधारहित आवागमन एवं सुगम प्रसाधन की समुचित व्यवस्था की जाय।

अतः राज्य में स्थित समस्त अतिथि गृह/होटल/पर्यटन स्थलों को निःशक्तजनों हेतु बाधारहित आवागमन एवं सुगम प्रसाधन की व्यवस्था करते हुए निःशक्तजन अधिनियम 1995 का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(बी0 आर0 टम्टा)
आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य आयुक्त (निःशक्तता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. सुश्री नीनू केवलानी, कमेटी मेम्बर, विजय मर्चेन्ट रिहेबिलिटेशन सेन्टर फॉर द डिसएवल्ड, प्रभुघर, 26, हनुमान क्रास रोड, नं0–2, विलय प्रेल(ई)–मुम्बई–57 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0
(बी0 आर0 टम्टा)
आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड

क्रम संख्या–238

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर, 2011 ई0

अग्रहायण 24, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग–2

संख्या 1407/XVII–2/2011–10(01)/2009

देहरादून, 15 दिसम्बर, 2011

प0 आ0–166

परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011

1. **संक्षिप्त नामः**

इस नियमावली का नाम "परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011" होगा।

2. **उद्देश्य/प्रयोजनः–**

उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एंव निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान व्यक्तिगत रुप से मासिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है

3. परिभाषाः–

निराश्रित परित्यक्ता महिला की श्रेणी में ऐसी विवाहित महिलाओं को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें शादी के उपरान्त 07 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया हो और पति लापता हो गया हो अथवा पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो तथा उसके भरण–पोषण हेतु निर्वाह भत्ता स्वयं अथवा न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदान नहीं किया जा रहा हो, परित्यक्ता महिला ससुराल अथवा अपने पैतृक ग्राम में से किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो पर विचार किया जायेगा। ऐसी महिलाऐं जिनके पति मानसिक रुप से विक्षिप्त होने के कारण कोई काम काज करने में असमर्थ हों तथा अपने परिवार का भरण–पोषण में अक्षम हो चुके हों । ऐसी महिला जो किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक परिस्थितियो वश या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शारीरिक अक्षमता (किन्तु विकलांगता की श्रेणी में न आ पा रही हो) के कारण शादी से वंचित रह गयी 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निराश्रित अविवाहित की श्रेणी में रखा जायेगा।

4. पात्रताः–

(क) परित्यक्ता विवाहित महिलाः

1 महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो किन्तु शादी के बाद पति द्वारा छोड़े जाने का कम से कम 7 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो।

2. पति के लापता होने पर लापता अवधि भी 7 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए एवं पति के लापता की पुष्टि तहसीलदार/उप जिलाधिकारी के स्तर से की जानी चाहिए।

3. स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206/– वार्षिक आय से अधिक नही हो ।

4. यदि ऐसी महिला के सन्तान है तो उनकी उम्र 20 वर्ष से कम हो, यदि 20 वर्ष से अधिक उम्र होने पर ऐसे पुत्र अथवा पुत्री स्वयं भी बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हो उनका अथवा पूरे परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206/– वार्षिक आय से अधिक नही हो।

5. यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृति उपरान्त लापता पति वापस आता है तो अनुदान सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। विवाहिता की सन्तान यदि भविष्य में बी0 पी0 एल0 श्रेणी में नही रह जाते है एवं उनकी वार्षिक आय निर्धारित आय से वृद्धि हो जाती है तो भरण–पोषण की सुविधा बन्द कर दी जायेगी।

6. ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/ भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

(ख) मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी को भरण–पोषण अनुदान की पात्रता:–

1. उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।

2. स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु015976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206.00 वार्षिक आय से अधिक नही हो यदि सम्बन्धित महिला का परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी में आता हो अथवा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206.00 से अधिक नहीं हो ।

3. ऐसी महिलाए जिनके पति मानसिक रुप से विक्षिप्त हों और मानसिक विक्षिप्तता के कारण उनके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा रहा हों।

4 यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त महिला का पति उपचार के बाद अपने परिवार का भरण–पोषण करने में सक्षम हो जाता है, तो अनुदान की सुविधा को समाप्त कर दिया जायेगा।

5 ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध

यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

6 सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा संबंधित महिला के पति को मानसिक रुप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हों।

(ग) अविवाहित महिला हेतु भरण–पोषण अनुदान की पात्रता:–

1. उम्र 40 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।

2 स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21206/–वार्षिक आय से अधिक नही हो यदि माता–पिता पर आश्रित है तो माता–पिता बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हो अथवा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु.15976 तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21206/– से अधिक नही हो।

3 यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त महिला द्वारा शादी की जाती है तो अनुदान सुविधा को समाप्त कर दिया जायेगा।

4. ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जावेगी।

5. **स्वीकृति:–**

निराश्रित परित्यक्ता विवाहिता महिला ,मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं अविवाहित महिला भरण–पोषण अनुदान की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी जबकि नगरीय क्षेत्र में स्वीकृति का अधिकार उप जिलाधिकारी अथवा नगर मजिस्ट्रेट मे निहित होगा।

6. प्रक्रिया :–

ग्रामीण क्षेत्र में पात्र महिलाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के चयन के उपरान्त प्रस्ताव पारित कर निर्धारित आवेदन पत्र भर कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान करेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्राजात/प्रमाण–पत्र संलग्न किये जायेगें।

1 फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा कर।

2 परिवार रजिस्टर की नकल।

3 बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त)बी0पी0एल0 चयनित परिवार में न होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा दिया गया वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।

4 परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 7 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 7 वर्ष से अधिक समय से लापता होने की पुष्टि तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

5. सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी मानसिक विक्षिप्तता का प्रमाण–पत्र शहरी क्षेत्र में निवास, उम्र आदि की पुष्टि नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम कार्यालय द्वारा की जायेगी। जबकि मासिक आय की पुष्टि तहसीलदार द्वारा की जायेगी। शादी की अवधि 7 वर्ष से अधिक होने तथा लापता पति की अवधि 7 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि भी उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

7. **अनुदान की राशिः–**

उपरोक्त तीनों श्रेणी की पात्र महिलाओं को रु0 400.00 प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान किया जावेगा।

8. **भुगतान प्रक्रियाः–**

ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा। सूची ग्रामवार, विकास खण्डवार एवं नगरवार तैयार की जायेगी। शासन से प्राप्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते अथवा डाकघर में खोले गये

खाते में छमाही किस्तों में प्रेषित किया जायेगा जिसकी सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नगर अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. **सत्यापन, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं निरस्तीकरणः–**

इस योजना के लाभार्थियों के जीवित होने अथवा योजना के लिए पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि हेतु प्रत्येक छमाही में समाज कल्याण विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसील के माध्यम से सत्यापन की जायेगी। सत्यापन के फलस्वरूप जिनकी पात्रता समाप्त हो जाती है उनके भरण–पोषण अनुदान की सुविधा को निरस्त कर दिया जायेगा। चूंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के संचालन हेतु उत्तरदायी है। इसलिए ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र से प्राप्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के परीक्षण का अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। इस प्रकार किसी भी कारणवश गलत स्वीकृत आवेदन पत्र अथवा छमाही सत्यापन के बाद अपात्र पाये गये आवेदकों के भरण–पोषण अनुदान को निरस्त करने का अधिकार भी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। आवेदन पत्र की पर्याप्त प्रतियॉ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट में भी परिचालित किया जायेगा ताकि सीधे वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए लाभार्थी आवेदन कर सके अथवा सादे कागज पर स्वच्छ अक्षरों में लिखित आवेदन पत्र भी मान्य होगा। शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र अधिशासी अधिकारी नगर के कार्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 समाज कल्याण/664–2011–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

कार्यालय आयुक्त नि:शक्तजन, उत्तराखण्ड,

(निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत स्थापित)
कार्यालय – 100 ओल्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून। फोन नं0 0135 – 2669981

संख्या : 485 /आ0नि0ज0/2012
दिनांक : 25 फरवरी, 2012

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी**
   उत्तराखण्ड।
2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**
   उत्तराखण्ड।
3. **समस्त अध्यक्ष,**
   बाल कल्याण समिति, उत्तराखण्ड।
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी**
   उत्तराखण्ड।

विषयः– सड़कों में बेसहारा घूमने वाले मानसिक निःशक्तजनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री सुरेन्द्र सिंह थापा, सदस्य, आर0टी0आई0क्लब उत्तराखण्ड, 174 पंडितवाड़ी, देहरादून द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.02.2012 द्वारा यह अवगत कराया है कि उन्होंने सड़कों में बेसहारा घूम रहे मानसिक निःशक्तजनों को 108 सेवा के माध्यम से राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान, सेलाकुई, देहरादून में भर्ती कराने हेतु सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगी गई थी जिसमें निम्न सूचना प्राप्त हुई :–

1. लोक सूचना अधिकारी, जी.वी.के.ई.एम.आर.आई, उत्तराखण्ड कर्जन रोड, देहरादून ने यह सूचना दी कि 108 सेवा मानसिक रोगियों को सेलाकुई पहुंचाने के लिए राज्य के सभी 13 जिलों में उपलब्ध है।

2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान, सेलाकुई, देहरादून ने यह सूचना दी कि लावारिस मानसिक रोगियों को भर्ती के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा रिसेप्शन आर्डर प्रस्तुत करने पर ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है।

श्री थापा द्वारा मानसिक रोगियों को सरलतम तरीके से राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान, सेलाकुई, देहरादून में भर्ती कराने हेतु निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। उक्त क्रम में निर्देशित करना है कि जनपद में बेसहारा घूमने वाले मानसिक निःशक्तजनों को राजकीय चिकित्सालय में उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। चिकित्सक द्वारा मानसिक रोगी घोषित किये जाने पर नियमानुसार मजिस्ट्रेट के

रिसेप्शन आर्डर के साथ राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान, सेलाकुई, देहरादून में भेजने का कष्ट करें ताकि मानसिक निःशक्तजनों को भर्ती कर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके।

उक्त के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जाये तथा साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक माह मानसिक निःशक्तजनों के उपचार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय
ह0–
(बी0 आर0 टम्टा)
आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** राज्य मानसिक चिकित्सा संस्थान, सेलाकुई, देहरादून।
2. **नोडल अधिकारी,** जी.वी.के.ई.एम.आर.आई, उत्तराखण्ड कर्जन रोड, देहरादून।
3. **श्री सुरेन्द्र सिंह थापा,** सदस्य, आर0टी0आई0क्लब उत्तराखण्ड, 174 पंडितवाड़ी, देहरादून।

ह0–
(बी0 आर0 टम्टा)
आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड

संख्याः-620/xxx (2) 2012

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 05 जुलाई 2012

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार गणना करते हुए बैकलॉग को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–1905/XXX (2)/2011 दिनांक 17 जनवरी द्वारा विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में निर्धारित 3 प्रतिशत का आरक्षण चिन्हिकरण करने तथा बैकलॉग सहित रिक्तियों की गणना कर पदों को भरने की कार्यवाही के निर्देश निर्गत किए गये थे। उक्त के क्रम में निम्नलिखित विभागों /कार्यालयाध्यक्षों को छोड़कर अन्य विभाग/कार्यालयों की सूचना आतिथि प्राप्त नहीं हुई है :–

1– वन विभाग 2–नागरिक उड्डयन विभाग 3–सहकारिता विभाग 4–स्टाम्प रजिस्ट्रेशन तथा मनोरंजन कर विभाग 5–औद्योगिक विकास विभाग 6–गृह विभाग 7–विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग 8–संस्कृति विभाग 9–भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण 10–राज्य योजना आयोग 11–अर्थ एवं संख्या विभाग 12–उच्च शिक्षा विभाग 13–राज्य सम्पत्ति विभाग 14–भाषा विभाग 15– ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 16–वाणिज्य कर एवं वाणिज्य कर अधिकरण 17–लघु सिचाई विभाग 18–सचिवालय प्रशासन विभाग, 19–आयुक्त गढ़वाल मण्डल 20–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी नैनीताल, 21–देहरादून, 22–पौड़ी गढ़वाल 23–टिहरी गढ़वाल

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों की सूचना एक सप्ताह के अन्दर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि तक सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आपके विभाग से सम्बन्धित सूचना शून्य मान ली जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः–620/xxx (2) 2012, तद्दिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव,विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी (जिलाधिकारी, उत्तरकाशी नैनीताल, 21–देहरादून, 22–पौड़ी गढ़वाल 23–टिहरी गढ़वाल को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, विकलांगजन, उत्तराखण्ड ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्याः 746 /xxvii(7)50(64)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 07 ~~दिसम्बर, 2013~~ जनवरी, 2014

विषयः– निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत, सेवा के दौरन निशःक्त हुये कर्मचारियों के संबंध में की गई व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–311/नि0स0/अ0स0का0/2006 दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशक्त व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समान अवसर देने के लिये "THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT, 1995" प्रख्यापित किया है जिसकी धारा 47(1) के प्राविधान निम्न हैः–

(1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा ।

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात उस पद के लिये जिसको वह धारण करता है,उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी अधिसंख्यक पद पर रखा जा सकेगा।

...2.

अतः उक्तानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) जो व्यक्ति सेवा में रहते हुये निःशक्त हो गया है उसे सेवा से हटाया नहीं जायेगा, तथा उसका अन्यत्र उपयोग करने की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) यदि ऐसा करना सम्भव न हो तब उस व्यक्ति को अधिवर्षता की आयु तक सेवा में बनाये रखा जायेगा, और वेतन दिया जायेगा।

(ग) सरकारी कार्य प्रभावित न हो इसके लिये उसे वित्त विभाग की सहमति से एक अधिसंख्यक पद सृजित करके सेवा में बनाये रखा जायेगा।

(घ) अधिनियम में उल्लिखित विकलांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत के संबंध में चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

संलग्न– अधिनियम की प्रति।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 746 (1)/XX/II(7)5)(64) तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

संख्याः 6 /XVII–2/14–39(विविध)/2002–TC

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 2 जनवरी, 2014

विषयः–वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–459/XVII(i)–2/2005–01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या–57/XVII–2/2010–06(91)/2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान योजना की दर रू0 400/– तथा विकलांग पेंशन की दर रू0 600/– की गई थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत (केन्द्रांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) वर्तमान दरों में वृद्धि करते हुए रू0 800/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त होगी।

4. उक्त तीनों पेंशनों में बढी हुई दर रू0 800/– में केन्द्राश भी सम्मिलित है।

5. शासनादेश संख्या–915/XVII–02/2010–06(05)/2009 दिनांक 01 फरवरी, 2010 द्वारा विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत उन विकलांगों, जो 'The Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995 की धारा–2n के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग है, को रू0 1,000/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह पूर्व की भांति अनुमन्य रहेंगी।

6. उक्त योजनाओं के अन्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश संख्या–459/XVII(i)–2/2005–01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या–57/XVII–2/2010–06(91)/2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 को एतदद्वारा अतिक्रमित समझा जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–66/XXVII(1)/2014 दिनांक 17 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 18 / XVII-2/14–39(विविध)/02-7 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमांयू/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव।